ग्रामीण महिला विकास संस्थान

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

ग्राम-बूबानी (अजमेर)

GMVS

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–2021

ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS, Ajmer)

ऊँचाईयों के शिखर की ओर बढ़ते कदम

GMVS

भूपेन्द्र यादव
मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़
नई दिल्ली–110003
फोन : 011–24695136, 24695132
फैक्स : 011–24695329
ई–मेल : mefcc@gov.in

–: शुभकामना संदेश :–

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बुबानी–किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा हर वर्ष की भाँति वर्ष 2021–21 की कार्य गतिविधियों का संकलन अपने वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया जा रहा है।

संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण जैसे दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला साक्षरता, महिला अधिकार आदि विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा आजीविका संवर्द्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास आज के कोरोना काल में निःसंदेह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।

आपका संस्थान मानव मात्र की सेवा करते हुये प्रगति पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे। आपके संस्थान परिवार को हार्दिक बधाई एवं वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन की सफलता के लिये शुभकामनाएँ।

(भूपेन्द्र यादव)

सुरेश सिंह रावत
विधायक
विधानसभा क्षेत्र पुष्कर
पूर्व संसदीय सचिव, राज्यमंत्री
राजस्थान सरकार

कार्यालय :
यूनिवर्सिटी तिराहे के पास
भूणाबाय, अजमेर (राजस्थान)
निवास : बाबा फार्म, मु.पो.–मुहामी,
वाया–गगवाना, जिला–अजमेर (राजस्थान)

–: शुभकामना संदेश :–

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बुबानी–किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा हर वर्ष की भाँति वर्ष 2021–21 की कार्य गतिविधियों का संकलन अपने वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया जा रहा है।

महिलाओं का विकास हमारी मुख्य प्राथमिकता है। बालिका के जन्म से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिये हमने भामाशाह योजना में उसे परिवार का मुखिया बनाया है और महिला स्वयं सहायता समूह तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिये भी अनके योजनाएँ चलाई जा रही है।

यह सराहनीय है कि संस्थान महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, जन चेतना, जल संरक्षण, किसान संवर्धन, बालश्रम उन्मूलन आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।

(सुरेश सिंह रावत)
विधायक, पुष्कर

GMVS

सुरेश टाक
विधायक, किशनगढ़

''जय श्री कृष्ण''
1/25, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
मदनगंज–किशनगढ़, जिला–अजमेर (राज.)
ई–मेल : info@sureshtak.in
मोबाईल : 94140-10882

–: शुभकामना संदेश :–

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ग्रामीण महिला विकास संस्थान किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा वर्ष 2020–21 की कार्य गतिविधियों का संकलन अपने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन के पुनीत अवसर पर इस संस्थान को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण जैसे दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वयं साहयता समूह, महिला साक्षरता, महिला अधिकार आदि विभिन्न जनहित के विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे है। संस्थान द्वारा आजीविका संवर्द्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास आज के कोरोना काल में निःसंदेह सराहनीय एवं प्रशसनीय कार्य है।

आपका संस्थान मानव मात्र की सेवा करते हुये प्रगति पथ पर निरन्तर अग्रसर रहें। उक्त गतिविधियों के सफल संचालन हेतु संस्थान के सचिव श्री शंकर सिंह रावत एवं संस्थान परिवार जन को हार्दिक बधाई देते हुये शुभकामनाएँ प्रेषित करता हुं एवं ग्रामीण महिला विकास संस्थान किशनगढ़ परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(सुरेश टाक)
विधायक, किशनगढ़

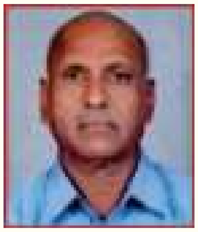

अनिल कुमार माथुर

अध्यक्ष

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

प्लाट नं. 111–116, सिद्धि विनायक कॉलोनी
खोड़ा गणेश रोड़, मदनगंज–किशनगढ़
जिला–अजमेर (राज.) 305801
मोबाईल नं. : 94142–58396

अध्यक्षीय सम्बोधन

मैं अत्यंत हर्ष के साथ ग्रामीण महिला विकास संस्थान का 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहुँगा। कहते हैं कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बस एक मजबूत सोच की जरूरत है। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल को हांसिल कर सकते हैं। संस्थान भी इन्हीं आर्दशों का पालन करते हुये उन्नति के पथ की ओर अग्रसर है। महिला उत्थान को अपना मूल ध्येय बनाकर संस्थान निरन्तर महिला विकास के लिये कार्य कर रही है। निरन्तर चलने की यह प्रक्रिया आपके सहयोग व मार्गदर्शन के बिना सम्भव न होती। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानो के सहयोग तथा संस्थान के कार्यकर्त्ताओं की कर्मठता के माध्यम से संस्थान ने कोरोना जैसी महामारी के विपरीत समय में भी जनहितार्थ अनेकों सामाजिक कार्यों को किया गया।

संस्थान द्वारा किये गये कार्यों, कार्यक्षेत्रों व प्राप्त परिणामों को इस प्रतिवेदन के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रतिवेदन उन कार्यों की एक झलक मात्र है।

मुझे यह अटूट विश्वास है कि सदैव की भाँति आगे भी आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। जिससे संस्थान उन्नति के शिखर पर पहुँचने में सफल सिद्ध हो।

(अनिल कुमार माथुर)
GMVS अजमेर

GMVS

शंकरसिंह रावत

निदेशक

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

प्लाट नं. 111–116, सिद्धि विनायक कॉलोनी
खोड़ा गणेश रोड़, मदनगंज–किशनगढ़
जिला–अजमेर (राज.) 305801
मोबाईल नं. : 96729–79032, 90792–07103

निदेशक की कलम से .....

मैं ग्रामीण महिला विकास संस्थान की 24 वर्ष की यात्रा के अनुभव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। संस्थान द्वारा संचालित अनेक गतिविधियों के माध्यम से हम विकास के क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर हैं। कर्म प्रधानता ही संस्थान का मूल मन्त्र है इसी का अनुभव करते हुये अनेको क्षेत्रों में संस्थान की टीम अपने कौशल का प्रर्दशन कर रही है। इस वर्ष नेत्र वसंत कार्यक्रम के माध्यम से मोतियाबिन्द मुक्त समाज करने के लिये संस्थान की टीम कार्यरत है। इसके साथ ही साथ किसानों के लिये भी बाजरा प्रसंस्करण और ग्वारगम व इसबगोल प्रसंस्करण नामक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं व किसानों को उन्नति के पथ की ओर अग्रसर करना है। जैसा कि सभी को विदित है कि कोरोना ने पिछले दो वर्षों में मानवता को ऐसी क्षति पहुँचाई है जिसको पूरा करना असम्भव है। ऐसी विकट परिस्थिति में जब कितने ही परिवारों ने अपने स्वजनों को खो दिया है। ऐसे में संस्थान ने दानदाताओं और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध करायी। संस्थान की स्वास्थ्य टीम ने कोरोना काल में गाँवों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी। संस्थान मानव उत्थान, महिला सशक्तिकरण व कृषक विकास आदि कार्यों को करते हुये उन्नति के पथ की ओर अग्रसर है।

संस्थान द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सफल संचालन का विस्तृत वर्णन 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आपके कर कमलों में प्रेषित है।

मैं इस संस्थान एवं संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

(शंकर सिंह रावत)

GMVS अजमेर

Gramin Mahila Vikas Sansthan (GMVS), Ajmer (Rajasthan)
Area of Operation and Office Locations

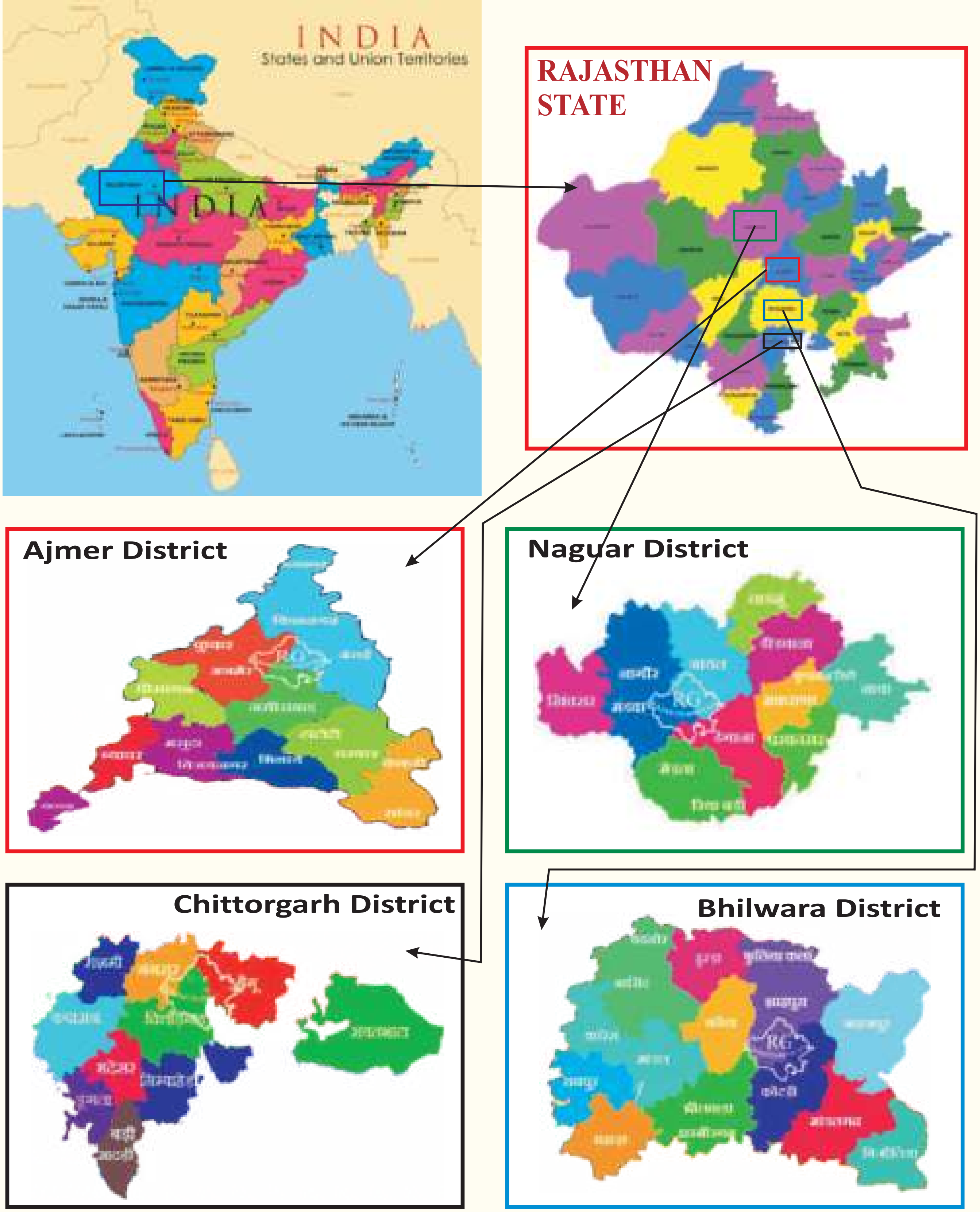

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम, अजमेर

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

ट्रकर्स कम्यूनिटी लाईवलीहुड स्ट्रेन्थनिंग कार्यक्रम, भीलवाड़ा

GMVS

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर (राजस्थान)
Gramin Mahila Vikas Sansthan-Bubani, Ajmer (Rajasthan)

पृष्ठभूमि :–

ग्रामीण महिला विकास संस्थान–बूबानी (अजमेर), राजस्थान संस्था पंजीकरण सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 28 एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए व 80 जी तथा FCRA एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत एक स्वयं सेवी संस्था हैं।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान–बूबानी (अजमेर), मानव समाज कल्याण के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए वृहद स्तर पर ग्रामीण सुमदाय के सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए निरन्तर कार्य कर रही हैं। संस्था समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार आदि सामाजिक मुद्दों पर 1998 से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हैं। वर्तमान में संस्था राजस्थान के 04 जिलों यथा अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर व भीलवाड़ा में विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही हैं।

विज़न :–

ऐसे सशक्त समाज की स्थापना करना जहाँ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा साथ ही समाज के हर वर्ग को आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक तथा रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाये।

मिशन :–

मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग से पिछड़े, अभावग्रस्त, गरीब समाज की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, कलस्टर व फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सशक्त करना ग्रामीण लोगों, वंचित वर्ग खासकर महिलाओं/बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व आजीविका के साधन सुनिश्चित करवाना।

संस्था के उद्देश्य :–

* समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में गाँव वालों की मदद करना।
* ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने में मदद करना एवं मातृ–शिशु कल्याण कार्यक्रम को गाँव–गाँव तक पहुँचाना।
* कृषि एवं पशुपालन के लिए ग्रामीणों को आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें ज्यादा पैदावार एवं ज्यादा पशुपालन में उनकी समस्याओं को कम करने में मदद करना।
* महिला विकास में ग्रामीण महिलाओं की रूचि पैदा करना तथा महिला कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिये महिला मण्डल एवं महिला गोष्ठियों का आयोजन करना।

* ग्रामीण दस्ताकारों को बढावा देने में सहयोग एवं रोजगार उपलब्ध कराना।
* निम्न आय वर्ग के लड़के लड़कियों को उचित शिक्षा दिलवानें की व्यवस्था करना।
* राजस्थान या राजस्थान के बाहर स्थित संस्थाओं जिनका उद्देश्य ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी जैसा होगा उनसे सहयोग प्राप्त करना एवं गतिविधियों मे तालमेल बनाये रखना।
* सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
* भूमी कटाव को रोकने हेतु मेड बन्दी।
* पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधों की जागरूकता रखना।
* महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से आधुनिक तकनीकों से जोड़ना।
* सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
* महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों को जागरूक बनाये रखना।
* संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना, किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।
* ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करना।
* संस्था के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी जैसे HIV AIDS जागरूकता, सामुदायिक स्तर पर आँखों की जाँच, माता व शिशु स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य पर क्षेत्र विशेष हेतु कार्यक्रम।
* क्षेत्र में अधिक संख्या में ट्रक ड्राईवर परिवारों के होने के कारण संस्था ट्रक ड्राईवर परिवारो के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका पर कार्य करेगी।
* इसके अतिरिक्त संस्था ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी विकास के कार्य क्षेत्र के आवश्यकतानुसार करेगी।
* ट्रक चालको एवं क्लीनरों की आँखों की जाँच कर चश्मा प्रदान करना तथा नियमित आँखों की जाँच तथा देखभाल हेतु प्रेरित करना।
* संस्था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तकनीकि प्रोत्साहन एवं कौशल विकास पर कार्य करेगी।
* संस्था महिलाओं के फेडरेशन को मजबूत करने एवं SHG बनाने व सशक्त करने का कार्य करेगी।
* संस्था मानवीय आवश्यकता हेतु समुदाय को लगातार जाग्रत करेगी।
* संस्था द्वारा शिक्षा प्रसार हेतु शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं तकनीकि विज्ञान प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जायेगी।
* संस्था द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य एवं प्रदूषण दूर करने हेतु बंजर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य करने की व्यवस्था करेगी।

GMVS

हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम–अजमेर
Hans Mobile Medical Services Program, Bubani-Ajmer

द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा हंस मोबाईल मेडिकल सविर्सेज कार्यक्रम के तहत श्रीनगर, सिलोरा तथा पीसांगन पंचायत समिति के 20 गाँवों में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। जैसा कि यह सभी को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वच्छता है। इसलिये कहा गया है (पहला सुख निरोगी काया) स्वस्थ व्यक्ति अपने रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए किसी भी परिवेश में अनुकूलन परिस्थितियों से भी स्वयं को निकालने में सक्षम होते है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनन्द उठा सकता है जब वह शारीरिक तथा मानसिक रुप से स्वस्थ रहे। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिये नशे से मुक्ति आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान–बूबानी, अजमेर ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य को मुख्य उद्देश्य के रूप में चुना गया है। ग्रामीण महिला विकास संस्थान–बूबानी, अजमेर के द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके कार्यक्रमों से जोड़कर लाभ पहुँचाया जाता है।

कार्यक्रम की शुरुआत :–

संस्थान द्वारा अजमेर जिले के दूर–दराज स्थित गाँवों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की एक रिर्पोट प्रोजेक्ट रुप में द् हंस फाउण्डेशन–नई दिल्ली को सौंपी गई। द् हंस फाउण्डेशन–नई दिल्ली के मूल्याकंन के द्वारा 13 मई, 2014 को संस्थान द्वारा अजमेर जिले के श्रीनगर पंचायत समिति के 12 गाँवों में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। कार्यक्रम के द्वारा एक वित्तिय वर्ष में 12 गांवो में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है। शुरूआत में परियोजना का मूल्यांकन दांता गाँव में था लेकिन उसके पश्चात् वर्तमान में बूबानी में स्थित है। जहाँ पर कार्यक्षेत्र से रेफर मरीजों का उपचार भी किया जाता है। यह परियोजना मई, 2014 से वर्तमान में लगातार जारी है और समय–समय पर कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जाता है। नये गाँव को कार्यक्षेत्र से जोड़ा जाता है और कम से कम 3 वर्ष तक सेवायें प्रदान की जाती है। इन वर्षो में लक्ष्य की प्राप्ति कर नये गाँवों का चुनाव किया जाता है। वर्ष (2020–2022) तक संस्थान द्वारा अजमेर जिले के श्रीनगर, सिलोरा, पीसांगन पंचायत समिति के 20 गाँवों का चयन किया गया है। जिसमें वर्ष 2020 से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कि जा रही है।

संस्थान द्वारा वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक संस्था ने 20 गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। एक माह में दो बार तथा प्रत्येक दिन दो गाँवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत लाभान्वित होने वाले गाँवों की सूची अधोलिखित है – खोड़ा गणेश, दांता, धामेडी, देवमण्ढ़ की ढाणी, निम्बुकिया, टिढाणा, नौलखा, भवानीखेड़ा, मानपुरा, रामपुरा, मोहनपुरा, कानाखेड़ी,

बड़ल्या, नेडल्या, बड़ी होकरा, छोटी होकरा, गोवलिया, झोपड़ा, नाडी का दढ्डा, बनियातों की ढाणी।

कार्यक्रम के तहत एक एम्बूलेंस है जो चिकित्सा से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों से युक्त है। यह एक छोटा चलता–फिरता अस्पताल है। टीम के द्वारा सुबह 9.00 से 4.00 बजे तक 20 गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। इसके बाद 4.00 से 5.00 बजे तक बुबानी (स्टेशनरी हेल्थ सेन्टर) पर मरीजों का उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य शिविर में पूरी टीम उपस्थित रहती है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :–

- परिवार में महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- परिवार व समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की महत्ता पर जोर देना।
- महिलाओं तथा बच्चों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री महिला तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की पहुँच बनाना।
- महिलाओं को प्रसव पूर्व, सुरक्षित प्रसव तथा प्रसव पश्चात् देखभाल को समझाकर स्वस्थ रहने के लिये प्रेरित करना।
- महिलाओं को संस्थागत प्रसवों के तहत मिलने वाले लाभ जैसे :– 104 व 108 सेवायें, जननी मातृ व शिशु योजना, मुख्यमंत्री राज श्री योजना के लाभों की जानकारी देना।
- नियमित जाँच, देखभाल, उपचार, संतुलित आहार, टीकाकरण तथा संस्थागत प्रसव आदि के द्वारा मातृ मृत्युदर व शिशु मृत्युदर को कम करना।
- समुदाय को बालिका बचाने हेतु जागरूक करना।
- वंचित वर्ग तक स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं को पहुँचाना।
- पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर जोर देना तथा स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव हेतु बनाना।
- जागरूकता बैठकों का आयोजन कर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों जैसे–स्वच्छता, पोषाहार, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, आँखों की देखभाल, स्वच्छ वातावरण, मादक द्रव्यों के सेवन को कम करने हेतु परामर्श तथा विभिन्न बिमारी जैसे–डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, अस्थमा, कैंसर, कुपोषण, मोटापा, एच.आई.वी. / एड्स, एनीमिया, कमजोरी आदि के प्रति जागरूकता लाना।
- विभिन्न बिमारियों की जाँच व उपचार के साथ–साथ ग्रामवासियों को बिमारियों के कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथाम के प्रति जागरूक करना।
- स्वास्थ्य आवश्यकताओं तथा उनके हक के प्रति जागरूक कर उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।
- बालिका जीवितता एवं सुरक्षित मातृत्व से जुड़े मुद्दें पोषाहार एवं स्वास्थ्य के बारे में महिला, परिवार तथा समाज में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी बैठकों के माध्यम से समय–समय पर देना तथा योजनाओं से उचित लाभार्थियों को जोड़कर लाभ पहुँचाना।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु जागरूक करना।
- जनसंख्या नियंत्रण व स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं को बच्चों के बीच कम से कम तीन से पाँच वर्ष का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना।

* बेटी बचाओ बेटी पढाओ के लिए ग्रामीण समुदाय के लोगो को प्रेरित करना।
* ग्रामीणों को कोरोना के बारे में बताना जैसे की इसके क्या लक्षण है, इसके बचाव के उपाय व कैसे इस बीमारी के रहते अपना ध्यान रखा जाना चाहिए।

कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ :–

कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे– चिकित्सा जाँच, दवाइयाँ, काउन्सिलिंग, गर्भवती महिला जाँच, स्वास्थ्य जाँच, महिला तथा शिशु स्वास्थ्य जाँच, देखभाल व घर भ्रमण पर मरीजों का स्वास्थ्य जाँच, रेफर आदि के अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाता है। टीम के द्वारा महिलाओं, किशोर–किशोरी, बालक–बालिकाओं तथा कार्यक्रम के तहत 20 गांवों में निर्मित ग्राम स्वास्थ्य कमेटी के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के द्वारा गाँव में कई कार्य होते है जैसे :– गर्भवती तथा धात्री महिला की नियमित देखभाल, टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, पोषाहार, गाँव की आँगनबाड़ी पर पहुँच तथा टीकाकरण में सहयोग, गाँव में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा एवं जागरूकता, परिवार नियोजन के साधनों के प्रति जागरूकता, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा निवारण, विभिन्न बीमारियों की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुँचाना आदि।

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा समय–समय पर घर भ्रमण कर स्वास्थ्य के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन तथा उद्देश्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु प्रत्येक गाँव में गाँव स्तर पर एक ग्राम स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया गया है। गाँव के महिला व पुरूष ही इस कमेटी के सदस्य है। गाँव स्तर की समस्याओं पर चर्चा तथा निवारण करने हेतु प्रत्येक माह में एक बार जागरूकता बैठक का आयोजन किया जाता है

गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ :–

नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें :– कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधायें अजमेर जिले की श्रीनगर, सिलोरा तथा पीसांगन पंचायत समिति के 20 गाँवों में प्रदान की जा रही है। जिसके तहत मुख्य ध्यान महिलाओं तथा बच्चों पर केन्द्रित किया जाता है। प्रत्येक गाँव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता टीम के गाँव में पहुँचने से पहले ही सूचना कर देता है। टीम के द्वारा गाँव में पहुँचकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। एम्बुलेंस टीम के साथ गाँव में पहुँचकर हॉर्न बजाती है और ग्रामवासियों को सूचना मिल जाती है। स्वास्थ्य टीम द्वारा गृह भ्रमण कर धात्री महिलाओं तथा नवजात शिशु की स्वास्थ्य जाँच, देखभाल, स्तनपान का तरीका व टीकाकरण हेतु प्रेरित, टाँको की देखभाल, जन्म प्रमाण पत्र, स्वच्छता, उपचार आदि सेवायें प्रदान की जाती है। परियोजना के तहत इस वर्ष 22525 मरिजों को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें प्रदान की गई।

क्र.सं.	वर्ष	महिला	पुरूष	बच्चे	कुल
1	2014–15	9148	5789	2443	17380
2	2015–16	12563	1817	4182	18562
3	2016–17	11543	2119	3853	17575
4	2017–18	11879	1259	3598	16736
5	2018–19	11823	1338	3681	16842
6	2019–20	10912	3144	1793	15849
7	2020–21	15884	1495	5146	22525
	कुल	**83752**	**17021**	**24696**	**125469**

स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाता है। कई बार उपचार से आराम नहीं मिलने पर या गंभीर परिस्थितियाँ होने पर या जाँच हेतु मरीजों को किशनगढ़, श्रीनगर तथा अजमेर के अस्पतालों में रेफर भी किया जाता है।

कार्यक्रम के स्टेशनरी हेल्थ सेन्टर–बूबानी में स्थापित है जहाँ से कार्यक्रम का संचालन किया जाता है बूबानी से प्रातः 9.00 बजे एम्बूलेंस गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिये रवाना होती है। 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक गाँवों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है सायं 4.00 बजे तक बूबानी में स्वास्थ्य टीम पहुँचती है और 5.00 बजे तक स्टेशनरी हेल्थ सेन्टर बूबानी पर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है।

टीम के द्वारा प्रत्येक मरीज का पूरा रिकॉर्ड **OPD** रजिस्टर में रखा जाता है। उसी रिकॉर्ड के आधार पर मासिक रिर्पोट बनायी जाती है। उनकी प्रत्येक विजिट में वजन, बी.पी. जाँच, सोनोग्राफी आदि की जाँच की जाती है। प्रत्येक विजिट में संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है। 104 व 108 की सुविधाओं की जानकारियाँ दी जाती है। बच्चा होने पर टीम द्वारा धात्री महिला के घर **PNC** विजिट की जाती है। परियोजना के स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर मरीजों की स्वास्थ्य जाँच कर उपचार लिखा जाता है। मेल–नर्स तथा नर्स द्वारा दवा दी जाती है और दवा खाने का तरीका भी बताया जाता है। मरीजों को 3–15 दिन का उपचार दिया जाता है। बी.पी., अस्थमा जैसी बिमारियों का ईलाज लगातार चलता है। उन्हें 15 दिन का उपचार दिया जाता है। परियोजना टीम द्वारा लगातार गाँव में भ्रमण कर ग्रामवासियों से सम्पर्क किया जाता है। गाँव में महिलायें गर्भवती होने पर टीम के पास जाँच हेतु आती है और पॉजीटीव होने पर लगातार उपचार दिलवाया जाता है। गर्भवती महिलायें स्वास्थ्य शिविर में पहुँचकर नियमित जाँचों का मूल्याकंन तथा दवाईयाँ प्राप्त करती है। इसके साथ सरकारी संस्थानों पर लगातार सम्पर्क बनाये रखने के लिये प्रेरित भी किया जाता है। गर्भवती महिलायें पूर्ण गर्भावस्था के दौरान टीम से जुड़ी रहती है और उपचार प्राप्त करती है।

गर्भवती एवं धात्री महिला जाँच :– कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। विशेषतः प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना है हमारा लक्ष्य मातृ मृत्युदर को कम करना है। इसलिये टीम गर्भवती तथा धात्री महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करती है। टीम वर्तमान के

श्रीनगर, सिलोरा तथा पीसांगन क्षेत्र के 20 गाँवों में कार्य कर रही है। प्रत्येक गाँव वासी को कार्यक्रम की सुविधाओं की जानकारी है। गाँव में अगर किसी महिला को कोई तकलीफ होती है तो वह स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता से तुरन्त सम्पर्क करती है महिला को गर्भ से होने का अंदेशा होने पर स्वास्थ्य टीम या आँगनबाड़ी केन्द्र पर जाँच करवा कर पुष्टी कर लेती है। गर्भवती महिला के प्रथम बार स्वास्थ्य शिविर में पहुँचने पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद लगातार शिविर में पहुँचकर स्वास्थ्य जाँच करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ उसकी काउन्सिलिंग की जाती है जिसमें पोषाहार, स्वच्छता, दैनिक दिनचर्या, आराम, जननी सुरक्षा योजना तथा खून की जाँच आदि के लिए प्रेरित किया जाता है। परियोजना के द्वारा इस वर्ष में 422 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की गयी। इन पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को बच्चा होने तक स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। टीम द्वारा इन 422 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 3336 बार स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार दिया गया। प्रत्येक विजिट पर उन्हें लगातार वजन बढ़ाने, पोषाहार, स्वच्छता, आराम, संस्थागत प्रसव तथा माँ का पहला दुध पिलाने के लिये जागरूक किया जाता है। साथ ही बेटा–बेटी में अन्तर न करके बेटी को भी समान अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित किया जाता है। प्रसव होने पर टीम द्वारा महिला के घर मातृ एवं शिशु देखभाल हेतु भ्रमण किया जाता है। बच्चे एवं माँ को बच्चे के सम्पूर्ण टीकाकरण, स्तनपान, स्वच्छता, पोषाहार, जन्म प्रमाण पत्र के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती हैं। इस वर्ष में टीम द्वारा 311 धात्री महिलाओं का उपचार एवं परामर्श एवं स्वास्थ्य देखभाल की गयी।

टीकाकरण :– स्वास्थ्य टीम गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है। सम्पूर्ण टीकाकरण बच्चों के बेहत्तर तथा सुरक्षित भविष्य के लिये आवश्यक है। यह टीकाकरण बच्चों को सात बिमारियाँ जैसे :– क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खाँसी, खसरा, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा चिकन पॉक्स आदि से बचाते है। इसके साथ ही बच्चों को पोलिया की दवा भी पिलाई जाती है। आँगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत आशा सहयोगिनी तथा टीम का स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता टीकाकरण से पूर्व ग्रामवासियों को सूचना प्रदान करता है। टीकाकरण के दिन आँगनबाड़ी केन्द्र पर टीकाकरण में सहयोग किया जाता है। टीकाकरण के दिन गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को टीके लगाये जाते है। जिसका रिकॉर्ड स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा रखा जाता है। इस वर्ष 20 गाँवों में टीम के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रो पर टीकाकरण किया गया जिसकी रिपोर्ट है–215 बी.सी.जी., 283 पेन्टा प्रथम, 297 पेन्टा द्वितीय, 342 पेन्टा तृतीय, 342 IPV, 318 खसरा, 181 डी.पी.टी. बूस्टर प्रथम, 12 डी.पी.टी बूस्टर द्वितीय तथा गर्भवती को 408 टीटी लगाये गये। टीम द्वारा प्रत्येक गाँव से प्रत्येक माह में रिकार्ड प्राप्त किये जाते है और मासिक रिकार्ड में दर्ज कर संस्थान तथा टी.एच.एफ. को प्रदान किये जाते है।

टीम द्वारा उन महिलाओं के घर भ्रमण कर टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाता है, टीम द्वारा नवम्बर माह में विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाया गया। टीम के सहयोग से इस वर्ष में कुल 2398 बच्चों का टीकाकरण करवाया गया। बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के साथ–साथ कोरोना का टीका लगवाने के लिये भी गाँव वासियों को प्रेरित किया जाता है।

मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर :– कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर नियमित जाँच एवं उपचार के माध्यम से संस्थागत प्रसव के फायदें बताना है कार्यक्रम के विभिन्न आयाम है जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों को उनके उद्देश्य के प्रति जागरूक करना है विशेषतः महिला स्वास्थ्य का मुद्दा है। टीम द्वारा जागरूकता बैठको के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महिलाओं को वर्तमान के परिपेक्ष में छोटा परिवार–सुखी परिवार के लिये प्रेरित किया जाता है गर्भावस्था के दौरान पोषाहार, दैनिक दिनचर्या, दिन के समय आराम, नियमित जाँच वजन, बी.पी., खून की जाँच, टीकाकरण, सोनोग्राफी के साथ–साथ लगातार उपचार की सलाह दी गयी ताकि मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकें। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये जागरूकता बैठकों में स्तनपान का तरीका, स्वच्छता, माँ का पहला दुध आदि के प्रति गर्भावस्था में जागरूक किया जाता हैं तथा उसके बाद पी.एन.सी. विजिट पर भी प्रेरित किया जाता है ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकें। टीम द्वारा 20 गाँवों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजिन किया जाता है। वर्षभर में कार्यक्षेत्र के 20 गाँवों में एक भी मातृ मृत्यु नहीं हुई। वर्षभर में 311 बच्चों का जन्म हुआ जिसमें से 8 बच्चें की मृत्यु हुई है। जो पिछले वर्ष की मृत्यु दर से काफी कम है। टीम द्वारा समय–समय पर विभिन्न मुद्दों जागरूकता बैठकों आयोजन किया जाता है।

संस्थागत प्रसव :– कार्यक्रम का उद्देश्य ही गर्भवती महिलाओं का नियमित उपचार कर संस्थागत प्रसव करवाना है | जागरूकता बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना, 104 व 108 की सुविधाओं आदि के साथ–साथ माँ व बच्चें की सुरक्षा तथा उपयोगिता के प्रति सचेत किया। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाने के बाद मिलने वाले लाभ की जानकारी गृह परिवारों को दी गयी। महिला के साथ–साथ परिवार को भी संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के द्वारा 20 गाँवों में इस वर्ष के दौरान 274 प्रसव सरकारी अस्पताल में हुये। 31 प्रसव निजी अस्पताल में तथा 06 प्रसव घर पर हुयें। इस वर्ष भर में कुल 311 प्रसव हुये।

जागरूकता :– कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर तथा जागरूकता का नियमित रुप से आयोजन किया जाता है। टीम के द्वारा महिलाओं, किशोर–किशोरी, बालक–बालिकाओं तथा ग्राम स्वास्थ्य कमेटी के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठकों तथा रैलियों का आयोजन किया जाता है। इन जागरूकता बैठकों तथा रैलियों में स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों, विभिन्न बिमारियों पर चर्चा की जाती है तथा जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही माह में एक बार एक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह वर्ष भर में 18 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष टीम द्वारा महिलाओं की 20 जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें 4688 महिलाओं को जागरूक किया गया। किशोर–किशोरी के साथ 16 जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता बैठकों में किशोर–किशोरी के स्वास्थ्य स्थिति, शारीरिक बदलाव, देखभाल व सावधानियाँ आदि पर भी चर्चा की गयी तथा छेड़छाड़ के प्रति सचेत किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों का उच्च स्तर पर सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक गाँव में ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया गया है। इनके साथ भी माह में एक बार जागरूकता बैठक का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ग्राम स्वास्थ्य कमेटी की 20 जागरूकता बैठकों के द्वारा 2693 सदस्यों को जागरूक किया गया। समय–समय पर जागरूकता बैठकों के साथ–साथ रैलियों का आयोजन भी किया जाता है।

परिवार नियोजन :– कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य और सेवाओं के अलावा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन जागरूकता कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महिलाओं तथा उनके परिवार को छोटे परिवार का महत्व समझाया जाता है तथा परिवार नियोजन के साधन जैसे–कण्डोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, कोपरटी, इंजेक्शन इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उपयोग में लेने के लिए प्रेरित किया गया।

टीम स्वयं परिवार नियोजन साधनों को महिलाओं को नहीं देती है जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित कर आँगनबाड़ी केन्द्र तक पहुँचाने और वहाँ पर आशा सहयोगिनी की देखरेख में महिलाओं को उचित साधन दिया जाता है तथा जागरूक भी किया जाता है। इसके साथ ही नसबंदी के लिए भी प्रेरित किया जाता है। टीम के द्वारा आशा सहयोगिनी के सहयोग से 53 महिला नसबंदी करवाई गई। 27 महिलाओं के कॉपरटी रखवायी। 2314 महिलाओं ने कंडोम किया। 418 महिलाओं ने गर्भ निरोधक गोलियाँ तथा 57 महिलाओं ने सरकार द्वारा संचालित अंतरा इंजेक्शन लगवायें। इस प्रकार 2869 परिवार नियोजन साधनों का उपयोग इस वर्ष में किया गया।

रेफरल सेवायें :– कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिविर में सामान्यतः बीमारियों का ईलाज किया जाता है कई बार स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा ना होने पर गंभीर समस्या होने पर तथा लेब जाँच हेतु मरीजों को सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। जाँच करवाकर पुनः स्वास्थ्य शिविर में चेकअप हेतु आने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर भ्रमण कर स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त कि जाती है। इस वर्ष में टीम के द्वारा 194 मरीजों को रेफरल सुविधाएँ प्रदान की गई। आसपास के कार्यक्षेत्र में गर्भवती महिला की स्वास्थ्य स्थिति अचानक खराब होने पर उसे इस एम्बूलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में भी पहुँचाया जाता है।

स्वास्थ्य सेवायें

- गर्भवती व धात्री महिला की जांच
- मातृ मृत्युदर को कम करना
- शिशु मृत्युदर को कम करना
- सम्पूर्ण टीकाकरण
- संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना
- परिवार नियोजन को बढ़ावा देना
- जागरूकता फैलाना

टी.एच.एफ. विजीट :– कार्यक्रम का संचालन द् हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान–बूबानी, अजमेर के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन अजमेर जिले की श्रीनगर, सिलोरा तथा पीसांगन पंचायत समिति के 20 गाँव में किया जा रहा है। हर वर्ष द् हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के द्वारा कार्यक्रम की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। परन्तु कोरोना माहमारी के कारण इस वर्ष विजिटकर्त्ता द्वारा टी.एच.एफ. विजिट ऑनलाईन ही कि गयी। परियोजना निदेशक शंकरसिंह रावत और परियोजना समन्वयक प्रीति ईनाणी द्वारा संस्थान की गतिविधियों व कार्यक्रम की सम्पूर्ण गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ऑनलाईन प्रदान की गयी। और कार्यक्रम संचालन की रूप रेखा समझाया गया।

सहयोगी संस्थाएँ :–

एच.एल.एल. लाईफकेयर लिमिटेड :– कार्यकम के साथ एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड संस्था भी जुडी हुई है। यह संस्थान पिछले काफी वर्षो से कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रही है। एच.एल.एल.

लाईफकेयर लिमिटेड संस्थान को सस्ती दरों पर सेनेटरी नेपकीन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कार्यक्रम द्वारा एच.एल.एल. लाईफकेयर लिमिटेड से सस्ती दरों पर सेनेटरी नेपकिन खरीदे जाते है और सस्ती दरों पर गांव की महिलाओं को प्रदान किये जाते है। टीम के जागरुकता बैठकों के माध्यम से महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ सेनेटरी नेपकिन के उपयोग पर चर्चा की जाती है। विभिन्न बिमारियों के बचाव को ध्यान में रखते हुये इसके उपयोग पर जोर दिया गया। टीम के द्वारा इस वर्ष 2981 सेनेटरी नेपकिन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के तहत एक सेनेटरी नेपकिन का पैकेट 30/– रुपये में दिया जाता है। जिसमे 6 सेनेटरी नेपकिन होते है। यह मार्केट में उपलब्ध सेनेटरी नेपकिन से सस्ते हैं।

मिनाक्षी मिशन हॉस्पीटल व रिसर्च सेन्टर:– कार्यक्रम का संचालन मई, 2014 से किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों तथा जागरुकता अभियानों के माध्यम से लगातार सेवायें प्रदान की जा रही है। इन्हीं वर्षों के दौरान वर्ष 2015–16 से कार्यक्रम को मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर का सहयोग प्राप्त हुआ। मिनाक्षी फाउण्डेशन के द्वारा कार्यक्रम को महिलाओं व बच्चों के लिए निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध करवायी जाती है। संस्थान को दो प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है। फाउण्डेशन द्वारा एक सेवायें गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को विटामिन एन्जेल नामक मल्टीविटामिन गोलियाँ है। इसका एक कोर्स पूरे छः माह तक होता है। एच.एम.एम.एस. कार्यक्रम में पंजीकृत होते ही टीम द्वारा गर्भवती महिला को यह दवा दी जाती है और वह छः माह तक इसका सेवन करती है। साथ ही धात्री महिलाओं तथा एनिमिया से ग्रसित लोगो को भी यह दवा दी जाती है। टीम के द्वारा महिलाओं को पूरा कोर्स लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। टीम के द्वारा 1116 महिलाओं को विटामिन एन्जेल का वितरण किया गया। इसके साथ ही मिनाक्षी फाउण्डेशन द्वारा बच्चों के लिए कृमिनाशक दवा तथा विटामिन ए की दवा उपलब्ध करवायी जाती है। कार्यक्रम के तहत इन 20 गाँवों के बच्चों को कृमिनाशक तथा विटामिन ए की खुराक पिलायी जाती है। यह दवा 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। प्रत्येक 6 माह से यह खुराक तथा गोली दी जाती है। टीम के द्वारा इस वर्ष मे 930 बच्चों को विटामिन ए तथा कृमिनाशक दवा की खुराक पिलायी गई।

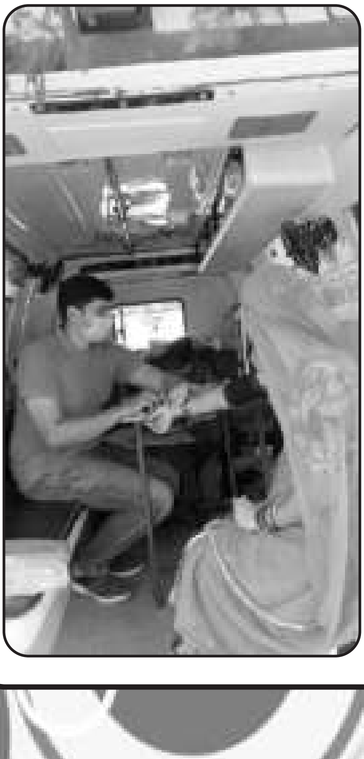

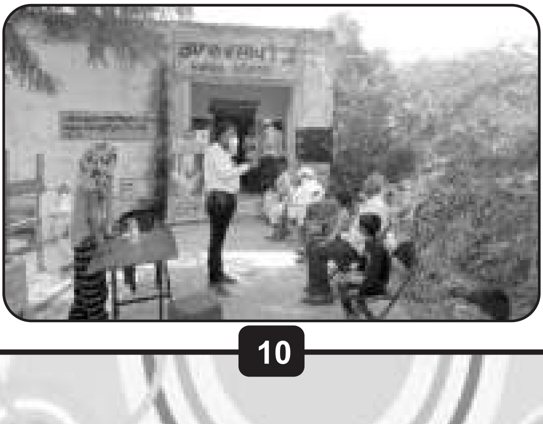

GMVS

राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम (साईट सेवर्स) अजमेर
Raahi Truckers Eye Health Programme (Sight Savers)

पृष्ठभूमि :– साईट सेवर्स, नई दिल्ली व रेबन के वित्तिय व तकनीकी सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान ने जून 2018 से राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। ट्रक ड्राइवरों के समुदाय के लिए देश के सबसे बड़े नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम जो मई 2019 तक सुचारू रूप से चलाने के बाद वर्ष 2019 से अब तक चल रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ में सारे कार्यकर्त्ताओं का टेबलेट व पोर्टल को चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद दिनांक 21 जून 2018 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जिसमें साईट सेवर्स से श्री अमरेश पाण्डे, श्री शेलेन्द्र व सुश्री वरिधि सिंह भी उपस्थित थे। श्री शेलेन्द्र सर के द्वारा उपस्थित सभी कार्यकर्त्ताओं को टेबलेट की समस्त डाटा एन्ट्री जिसमें विभिन्न होटल व साईट सेवर्स के लामाना सेन्टर (राही दृष्टि केन्द्र) पर आये। ड्राईवरों व क्लीनरों का बेसिक विवरण भरना होता है तथा साईट सेवर्स के पेल्यूसिड पोर्टल पर क्यू आर कोड जनरेट करना, केम्प जनरेट करना, चश्मो के ऑर्डर व उनकी ड्राईवरों को डिलीवरी दिखाना है यह सब बताया। सभी गतिविधियों का प्रशिक्षण पाने के बाद दिनांक 22.6.2018 को पहला केम्प विजन सेन्टर लामाना में रखा गया और उसके बाद सही कार्यक्रम निरन्तर प्रगति कर रहा है। तथा ज्याद से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों को कार्यक्रम के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। मार्च 2019 में एक वर्ष सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इस कार्यक्रम को मई 2019 में विजिन सेन्टर को किशनगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया क्योंकि यहाँ भीलवाड़ा, ब्यावर व पंजाब तीनों रूट के सारे ट्रक ड्राईवर आते है व यहाँ से चश्में डिलीवरी करना भी आसान हो जाता है।

साईट सेवर्स के वित्तिय सहयोग से जो विजन सेन्टर वर्ष 2018 में खोला गया था वह लामाना में एन. एच. रोड़ से 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है अब वर्ष 2019 में यह विजन सेन्टर किशनगढ़ में देव मार्केट, मकराना राज होटल के सामने, तोलामाल में स्थानान्तरित कर दिया हैं। इस कार्यक्रम में 5 कार्यकत्ताओं की टीम है एक ओप्टोमेट्रिस्ट, दो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, एक सहायक ऑप्टोमेट्रिस्ट व एक लेखाकार है। विजिन सेन्टर में प्रथम टेबल पर ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, दूसरी टेबल पर स्क्रीनिंग टेस्ट व तृतीय टेबल पर ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। सब से पहले कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर होटल पर आये हुए ड्राईवरों से बात कर उन्हें आँखों की जाँच करवाने हेतु प्रेरित करता है और उन्हें सेन्टर पर भेजता है। टेबल नं. 1 पर ट्रक ड्राईवरों को बैठा कर उनका आई कार्ड बनाया जाता है व उनसे ड्राइविंग लाईसेन्स मांगा जाता है। साथ ही अन्य जानकारी जैसे नाम, उम्र, मोबाईल नम्बर, ड्राईविंग लाईसेन्स, रिन्यूवल की दिनांक, वेतन, उनकी गाड़ी का रूट, जाति, मेडिकल व अन्य बीमा है या नहीं, शराब व सिगरेट पीने की आदत, दूर से उन्हें कैसा दिखता है, मेडिकल जाँच करवाते है या नहीं कभी उनका एक्सीडेन्ट तो नहीं हुआ आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी लेते है। उसके बाद टेबल नम्बर 2 पर उनकी आँखों की जाँच की जाती है और उसके बाद उनको ग्रेड दी जाती है। यदि ग्रेड ए मिली होती है तो ड्राईवर पुनः 1 नम्बर टेबल पर जाता है और यदि अन्य ग्रेड मिली होती है तो 3 नम्बर टेबल पर जाता है और उसे कौनसे नम्बर का चश्मा लगेगा यहा जाँच किया जाता है। यदि उसे पास की नजर की परेशानी होती है तो उसे उसी वक्त चश्मा दिया जाता है और यदि दूर का या बाय फोकल आता है तो उस चश्में का ऑर्डर दिया जाता है जो कि टेबल नम्बर 1 पर होता है।

कार्यक्रम उद्देश्य :–

1. ट्रकर्स को प्राईमेरी आई केयर सर्विसेज उपलब्ध करवाना जिनको जाँच रिफ्रेक्शन की जरूरत है उन्हें इस कार्यक्रम के द्वारा मदद करना।
2. आँखो के स्वास्थ्य की महत्वता को ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करना।
3. तकनीकि की मदद से सारे ट्रक ड्राईवरों का डाटा एकत्रित करना।
4. राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के नाम से ही स्पष्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रक ड्राईवर्स, क्लीनर्स की आँखों की जाँच कर उन्हें चश्मा वितरण करना, आँखों को सुरक्षित रखने के लिये समय–समय पर उनकी जाँच करवाना नियमित रुप से आँखों को ठण्डे साफ जल से धोना चाहिए व अन्य जानकारी उपलब्ध करवाना जिससे वे अपनी आँखों का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें।
5. आँखों की देखभाल करने के साथ–साथ अपनी व अपने परिवार की सम्पूर्ण सेहत का ध्यान रखने के लिये प्रेरित करना है। सड़क दुर्घटना को कम करना।
6. समय न मिल पाने के कारण जो ट्रक ड्राईवर व क्लीनर आँखों की जाँच नहीं करवा पाते है उन्हें उनके रास्ते में ही आँखों की जाँच का केन्द्र उपलब्ध करवाना।
7. ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों को उनके स्वास्थ्य व बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।
8. ट्रक ड्राईवर्स तथा उनके परिवार को सुरक्षित भविष्य दिलवाना।
9. ट्रक ड्राईवर्स व क्लीनरों को आँखों की जाँच के लिए प्रेरित करना।
10. कम आय के कारण ट्रक ड्राईवर व क्लीनर अपनी आँखों की जाँच नहीं करवा पाते है इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके कार्यस्थल पर आँखों की जाँच की सेवाये व चश्में आसानी से उपलब्ध करवाना।
11. जानकारी के अभाव में वे अपनी आँखों में जलन होने, पानी आने व अन्य समस्या पर ध्यान न देकर इसे सामान्य समस्या या आँखों की थकावट का कारण समझते है ऐसी स्थिति में उन्हें आँखें कमजोर होने व समय के साथ–साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है। इसकी जानकारी देना जिससे व अपनी समस्या के प्रति जागरूक हो और इस ओर ध्यान दें।
12. उन्हें अपनी सेहत की महत्ता समझाना व बताना कि स्वास्थ्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर हम शारीरिक रुप से स्वस्थ रहेंगे तो ही मानसिक व अन्य रुप से स्वस्थ व खुश रहेंगे, जिससे हर कार्य अच्छे से कर पाएंगें। अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करेंगे व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर पायेगें। अतः स्वस्थ रहना आवश्यक है।

गतिविधियाँ :–

1. एक विजन सेन्टर की स्थापना करना तथा विभिन्न होटलों पर केम्प आर्गेनाइज करना :– प्रशिक्षित ऑपटोमेट्रिस्ट, ऑपथेल्मिक असिस्टेन्ट के द्वारा विभिन्न होटलों पर केम्प आयोजित कर उन ट्रक ड्राईवरों को कवर करना जो कि रास्ते से निकल रहे हैं।

2. ट्रकिंग समुदाय के लिए नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा :– नेत्र देखभाल से संबन्धित भेद्यता और जोखिम को कम करने के लिए दृष्टिकोण, सूचना और कौशल के साथ ट्रकर्स समुदाय के साथ ट्रक ड्राईवरों के बीच नेत्र

स्वास्थ्य की मांग को बढ़ावा देने के लिए ट्रकर्स समुदाय के साथ विभिन्न आईईसी गतिविधियाँ करना।

3. ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों की आँखों की जाँच :– कार्यक्रम के अन्तर्गत विजन सेन्टर (लामाना), विभिन्न होटल जैसे जगदम्बा, लाडी, राज चिडिया, ट्रांसपोर्ट नगर, एच.पी. गैस प्लांट व बी.पी. गैस प्लांट पर आँखें जाँचने हेतु शिविर आयोजित किया जाता है। जिसमें माह जून से लेकर माह मार्च 2019 तक लगभग 3981 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों की आँखें जाँची गई उसके बाद माह अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगभग 6942 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों की आँखे जाँची गई, और गत वर्ष 2020 से 2021 तक लगभग 5158 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों की आँखे जाँची गयी। इस प्रकार कार्यक्रम के आरम्भ होने से मार्च 2021 तक कुल 16081 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों की आँखों की जाँच की गयी।

4. चश्मों का वितरण :– ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों की आँखों की जाँच करने के बाद यदि उन्हें देखने में परेशानी होती है तो आँखों की जाँच के अनुसार समस्या का पता कर उन्हें पास व दूर के चश्में वितरीत किये जाते है। जिनको पास की नजर में परेशानी होती है उन्हें पास की नजर का चश्मा उसी वक्त दे दिया जाता है और जिन्हें दूर की नजर में परेशानी होती है उनके लिए चश्मा ऑर्डर किया जाता है। जो एक सप्ताह बाद आ जाता है और ट्रक ड्राईवरों के वापस आने पर उन्हें दे दिया जाता है। जून से लेकर माह मार्च 2019 तक 1300 चश्में वितरीत किये गये। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 1966 चश्मे वितरीत किए गयें। तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 2295 चश्में वितरीत किये गये इस प्रकार कार्यक्रम प्रारम्भ होने से लेकर मार्च 2021 तक कुल 5561 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों को चश्मे वितरीत किए गए।

5. जागरूकता फैलाना :– राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम के द्वारा सभी ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों में जीवन बीमा, एक्सीडेण्ट बीमा करवाने के साथ ही समय–समय पर बी.पी., शुगर चेक करवाने, मासिक स्वास्थ्य जाँच, आँखों की जाँच करवाने, पौष्टिक आहार खाने व काम के साथ–साथ अपनी सेहत को भी महत्व देना चाहिए इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलायी जाती है।

6. विश्व दृष्टि दिवस पर स्वास्थ्य केम्प का आयोजन :– विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम तथा हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम के द्वारा नेशनल हाइवे 79 पर रामपुरा गांव में आई हेल्थ केम्प का आयोजन किया गया। जिसके अर्न्तगत 60 ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों के आँखों की जाँच की गयी। तथा साथ ही उनके परिवार की स्वास्थ्य जाँच भी की गयी जिसके अर्न्तगत 20 ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों को चश्में वितरीत किये गये। 64 व्यक्तियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। तथा 13 गर्भवती महिलाओं ने भी शिविर में स्वास्थ्य जाँच करवाई और दवाई प्राप्त की।

7. प्रचार प्रसार कर ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों को आँखों की जाँच के लिए प्रेरित करना :– राही ट्रर्क्स आई हेल्थ कार्यक्रम अन्तर्गत पेम्पलेट बांट कर बेनर लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा ज्यादा से ज्यादा ड्राईवरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

8. <u>एस.आई.ए.एम. केम्प –</u> राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल हाईवे 8 पर एस.आई.ए.एम. केम्प का आयोजन किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य "जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा" रखा गया। जिसमें जीवन रक्षा व उसके महत्व तथा "सावधानी हटी दुर्घटना घटी" जैसे विषुयो पर लोगो को जागरूक किया

गया। इसके दो केम्प का आयोजन किया गया। पहला केम्प 4 फरवरी 2021 को गेगल टोल प्लाजा पर आयोजन किया गया जिसमें 62 ट्रक ड्राइवरों तथा क्लीनरों की आँखों की जाँच की गई और 27 ड्राइवरों तथा क्लीनरों को चश्में वितरित किये गये। इसी प्रकार दुसरा केम्प जी.वी.के. टोल प्लाजा पर आयोजन किया गया जिसमें 65 ट्रक ड्राइवरों तथा क्लीनरों की आँखों की जाँच की गई और 8 लोगो को चश्में वितरित किये गये।

9. <u>राही फोटो कॉम्पिटीशन</u> – साइट सेवर के द्वारा राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ऑल इन्डिया फोटो कॉम्पटीशन का आयोजन किया गया जिसमें इस कार्यक्रम के द्वारा चश्मा प्राप्त करने के बाद ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों की खुशी तथा भावों को फोटो के माध्यम से दर्शाना था। जिसमें ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा संचालित राही ट्रकर्स आई हेल्थ कार्यक्रम (तोलामाल) के परियोजना समन्वयक अमर भार्गव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्रामीण महिला विकास संस्थान के लिये एक बड़ी उपलब्धी है।

उपलब्धियाँ :

इस कार्यक्रम के द्वारा विजन सेन्टर व विभिन्न होटलों पर केम्प लगाया जाता है। जिसमें विजन सेन्टर पर प्रति दिन लगभग 12 ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों की तथा होटल पर प्रति दिन लगभग 55 ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों की आँखें जाँच की जाती है। आँखों की जाँच के केम्प राज चिडिया, लाडी, ट्रांसपोर्ट नगर, एच.पी. गैस प्लांट, बी.पी. गैस प्लांट आदि जगहों पर लगाये जाते है। जिनका जून, 2018 से मार्च, 2021 तक का डाटा निम्न प्रकार है–

वर्ष	विंजन सेन्टर पर ओपीडी	केम्प पर ओपीडी	कुल ओपीडी	कुल चश्में वितरित
जून 2018 से मार्च 2019	1344	2637	3981	1300
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3636	3306	6942	1966
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	3667	1491	5158	2295
कुल	**8647**	**7434**	**16081**	**5561**

GMVS

ट्रकर्स कम्यूनिटी लाईवलीहुड स्ट्रैन्थनिंग कार्यक्रम–भीलवाड़ा
Truckers Community Livelihood Strengthening Programme-Aravali

पृष्ठभूमि :– चोलामण्डलम व अरावली के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा आयोजित ट्रकर्स कम्यूनिटी लाइवलीहुड स्ट्रेन्थनिंग कार्यक्रम दिनांक 16.06.2019 को भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़ हाइवे 79 पर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर संस्थान सचिव शंकरसिंह रावत ने ट्रक, ट्रेलर व बस चालकों के विषय में कहा कि वाहन चालको को समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच करानी चाहिए। ट्रक, ट्रेलर व बस चालकों के सामने चौकन्ना रहना, यातायात नियमों का पालन, भूख–प्यास, समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुँचने समेत कई तरह के दबाव होते है इन सब के बीच संयमित रहकर बिना तनाव के भारी वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इन शिविरों के माध्यम से वाहनों चालकों को लाभ प्राप्त होगा इस वर्ष कार्यक्रम के तहत ट्रक चालक के स्वास्थ्य शिविर केम्प किये गये जिसमें 4409 ट्रक ड्राईवरों/क्लीनरों की आँखे व स्वास्थ्य जाँच कर 1309 लोगों को चश्में बाँटे गये।

कार्यक्रम के उद्देश्य :–

1. रोजाना हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
2. समय न मिल पाने के कारण ट्रक ड्राईवरों व क्लीनर आँखों की जाँच नहीं करवा पाते है उन्हें उनके रास्ते में ही आँखों की जाँच का केन्द्र उपलब्ध करवाना।
3. ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना व बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।
4. ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों को आँखों की जाँच के लिए प्रेरित करना।
5. कम आय के कारण ट्रक ड्राईवर व क्लीनर अपनी आँखों की जाँच नहीं करवा पाते है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके कार्यस्थल पर आँखों की जाँच की सेवायें व चश्में आसानी से उपलब्ध करवाना।
6. ट्रक ड्राईवर्स व क्लीनर्स को अपनी आँखों की जाँच करवाने के साथ–साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी उनकी आँखो की देखभाल करने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करना।
7. ट्रक ड्राईवर्स व क्लीनर्स अपनी आँखों में जलन होने, पानी आने, कम दिखाई देना व अन्य समस्याओं पर ध्यान न देना इन समस्याओं को सामान्य समस्या समझना और जानकारी के अभाव में अपनी आँखों पर ध्यान नहीं देते है। इसलिए उन्हें उनकी आँखों के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक जानकारी दी गयी। आँखों की रोशनी कम होने पर ये सभी समस्याएँ होती है व इससे बचाव करना आवश्यक है तथा समय पर उपचार हेतु जागरूक किया गया।
8. आँखो से सम्बन्धित समस्या दूर करने के लिए उन्हें आसान उपाय बताना जैसे–पौष्टिक आहार लेना, समय–समय पर आँखों की जाँच करवाना, कम रोशनी में काम न करना समय पर सही उपचार लेना आदि जिससे वे अपनी आँखों की देखभाल अच्छे से कर सके।
9. उन्हें स्वस्थ रहने के फायदे बताना तथा आँखों के अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजना के माध्यम से अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं का भी समय पर उपचार करवाने व स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ :–

संस्था द्वारा विजन सेन्टर पर 3297 ड्राइवर व सहायक की आँखों की जाँच की गई तथा दिनांक 24.09.2020 से 22.03.2021 तक केम्प लगाये गये जिसमें 1112 ड्राइवर व सहायक की आँखों की जाँच की गई। इस प्रकार ड्राइवर व सहायक की आँखों की जाँच कर 1309 व्यक्तियों को चश्मा वितरीत किया गया।

1. **ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों की आँखों की जाँच–** कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न होटल जैसे नानकपुरा गुरूद्वारा, ग्रीन प्लाजा होटल, लाडी होटल, एच.पी. गैस प्लांट, ए.बी.सी. होटल, भारत गैस प्लांट, इन्डियन गैस प्लांट व बिहारी होटल पर आँखें जाँचने हेतु दिनांक 24.09.2020 से 22.03.2021 तक शिविर आयोजित किये गये है। जिसमें लगभग 4409 ट्रक ड्राइवरो व क्लीनरो की आँखे जाँची गयी है।

2. **चश्मों का वितरण–** ट्रक ड्राईवरो व क्लीनरो की आँखों की जाँच करने के बाद यदि उन्हं देखने में परेशानी होती है तो आँखों की जाँच के अनुसार समस्या का पता कर उन्हें पास व दूर के चश्में वितरीत किए गये। जिनको पास की नजर में परेशानी होती है उन्हें पास की नजर का चश्मा उसी वक्त दे दिया जाता था और जिन्हें दूर की नजर में परेशानी होती है उनके लिए चश्मा ऑर्डर किया जाता था। जो एक सप्ताह बाद आ जाता है और ट्रक ड्राईवरो के वापस आने पर उन्हे दे दिया जाता है। इस कार्यक्रम में 1309 चश्मे वितरीत किए गए।

3. **जागरूकता फैलाना–** ट्रकर्स कम्यूनिटी लाइवलीहुड स्ट्रेन्थनिंग कार्यक्रम के द्वारा सभी ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरों के जीवन बीमा, एक्सीडेण्ट बीमा करवाने के साथ ही समय–समय पर बी.पी., शुगर चेक करवाने, मासिक स्वास्थ्य जाँच, आँखों की जाँच करवाने, पोष्टिक आहार खाने व काम के साथ–साथ अपनी सेहत को भी महत्वता देने इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलायी गयी।

4. **प्रचार–प्रसार कर ट्रक ड्राईवरों व क्लीनरो को आँखों की जाँच के लिए प्रेरित करना–** ट्रकर्स कम्यूनिटी लाइवलीहुड स्ट्रेन्थनिंग कार्यक्रम अन्तर्गत पेम्पलेट बाँट कर व बेनर लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा ज्यादा से ज्यादा ड्राईवरों को जोडने का प्रयास किया गया।

उपलब्धियाँ–

इस कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2018 में कुल 33 केम्प आयोजित किए गए। जिसमें 2500 ड्राइवर व क्लीनर की आँखो की जाँच कर 1249 ड्राइवर व क्लीनर को चश्में वितरीत किये गये तथा वर्ष 2019 में कुल 13 नेत्र शिविरो का आयोजित किया गया। जिसमें 1516 ड्राइवर व क्लीनर की आँखो की जाँच कर 750 ड्राइवर व क्लीनर को चश्में वितरीत किये गये। जिनका डाटा इस प्रकार है।

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	नेत्र जाँच संख्या	वितरीत चश्में
1	2018	79 नेशनल हाईवे श्रीनगर से भीलवाड़ा तक	2500	1249
2	2019	79 नेशनल हाईवे भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक	1516	750
		कुल	**4016**	**1999**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विजन सेन्टर तथा केम्प में कुल मिलाकर 4409 ड्राइवर व क्लीनर की नेत्र जाँच की गई तथा 1309 ड्राइवर व क्लीनर को चश्में वितरीत किये गये। जिनका डाटा इस प्रकार है।

क्र.सं.	ओ.पी.डी	लाभार्थी	कुल चश्में वितरीत
1	विजन सेन्टर ओ.पी.डी	3297	1309
2	केम्प ओ.पी.डी.	1112	
	कुल	4409	1309

लक्षित हस्तक्षेप परियोजना चित्तौड़गढ (माईग्रेन्ट टी.आई.)
Targeted Intervention Programme, Chittorgarh (Migrant T.I.)

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, जयपुर के वित्तिय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा चित्तौड़ जिले में टी.आई. कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। चित्तौड़ जिले में 1 मार्च 2014 से ग्रामीण महिला विकास संस्थान के माध्यम से प्रवासी लोगों के उच्च जोखिम व्यवहारों को जानकर उनको टी0 आई0 सुविधाएं दी जा रही हैं। टी0 आई0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एच0 आई0 वी0 एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है। टी0 आई0 कार्यक्रम राजस्थान के स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर राजस्थान ने ग्रामीण महिला विकास संस्थान चितौड़गढ़ को यह मौका दिया कि वे प्रवासी लोगों के लिए चित्तौड़ जिले में एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर सकें।

संस्थान द्वारा माइग्रेंट को एच0 आई0 वी0 एड्स व टी0 बी0 के प्रति जागरूक करने के साथ परामर्श पर जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना है। आज के इस मशीनी युग में भी मजदूर वर्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत देश को हमेशा मिलता रहा है। भारत का एक बहुत बड़ा समुदाय प्रवासी मजदूर के रूप में अपनी पहचान भारत में बनाए हुए हैं। राजस्थान राज्य के अनेक जिलों में प्रवासी लोग रहते हैं जो आज भी अपनी रोजी–रोटी कमाने के लिए अनेक क्षेत्रों में रहकर साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर काफी मेहनती वर्ग है। इनके अदम्य साहस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य, लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य, सीमेंट फैक्ट्री, कपास फैक्ट्री, खाद फैक्ट्री, माइंस व होटल आदि क्षेत्रों में अपना–अपना कार्य करके योगदान दे रहे हैं।

इस कार्यक्रम के तहत एच0 आई0 वी0 संक्रमित लोगों को जागरूक करना होता है, ताकि उनके उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार को बदलकर उनके जोखिम पूर्ण व्यवहार में कमी लाई जा सके। जोखिम पूर्ण व्यवहार जैसे शराब का सेवन करना, एक ही सुई से अधिक लोगों का ड्रग्स उपयोग करना, अफीम, गांजा जैसे नशे का सेवन करना, यौन कर्मियों के साथ असुरक्षित संबंध स्थापित करना इत्यादि। माइग्रेंट जाने अनजाने उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसी कारण उनको व उनके परिवार को इसका भारी मूल्य चुकाना पडता है। देश में प्रवासियों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जिसके माध्यम से प्रवासियों को अपने क्षेत्रों से निकलकर बाहर कमाने के लिए ना जाना पड़े। परन्तु यह उनके लिए जीवन यापन करने का साधन व उनकी मजबूरी है। संस्थान में प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद

वन टू वन मीटिंग व समूह में मीटिंग करने के बाद उनके व्यवहार की जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात परामर्श कर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जांच करवाई जाती है। टी.आई. कार्यक्रम का उद्देश्य अनेक गतिविधियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को जोड़ना है। साथ ही सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी उनको उपलब्ध करवाई जाती है। इन योजनाओं से एच0 आई0 वी0 तथा टी0 बी0 से ग्रसित लोगों को व अन्य माइग्रेंट से मिलने वाली श्रमिक कार्ड जैसी योजनाओं से भी जुड़ाव करवाना है।

एच. आई. वी. व टी. बी. की जांच व लक्षण पाए जाने पर माइग्रेंट को आई0 सी0 टी0 सी0, ए0 आर0 टी0, डॉट सेंटर से जोड़ना है। साथ ही उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। माइग्रेट कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़, सावा, निंबाहेड़ा, कपासन व चंदेरिया के विभिन्न क्षेत्रों पर फैक्ट्रियां व अन्य स्थानों पर, कार्यरत माइग्रेंट को टी0 आई0 कार्यक्रम की जानकारी देकर उससे मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इन सभी जगहों पर संस्थान द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम से प्रवासियों को सुविधा दी जा रही है। इन सभी लोगों के साथ उनके निवास स्थान, कार्यस्थल, व उनके मिलने के स्थान पर जाकर संपर्क किया जाता है। इन प्रवासी लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, पान की दुकान, सब्जी या फल का ठेला, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, वाइन शॉप, लेबर कॉलोनी तथा रेजिडेंस कॉलोनी आदि स्थानों पर मिला जा सकता है। यह प्रवासी फैक्ट्री क्षेत्रों के आसपास ही रह कर अपना जीवन यापन करते हैं। टी0 आई0 कार्यक्रम के अंतर्गत इनको DIC की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। DIC में आकर इनको मनोरंजन, विश्राम, परामर्श, स्वास्थ्य व कंडोम आदि से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं।

प्रवासी लोग अधिकतर अकेले आते हैं और जहाँ भी ये लोग रहते है, वहाँ पर एक ही कमरे में 10, 15 या 20 लोग एक साथ रहते हैं। कई बार कमरे में इससे भी अधिक लोग रहते हैं। प्रवासी मजदूरों का कार्य करने का समय, 8 से 12 या 16 घंटे रहता है, क्योंकि यह लोग बाहर से आकर यहाँ काम कर रहे होते हैं। इस कारण यह लोग अधिक से अधिक काम करते है, ताकि अधिक धन प्राप्त कर कुछ रुपया—पैसा अपने घर गाँव ले जा सके। अधिकतर प्रवासी अपने परिवार पत्नी को छोड़कर यहाँ अकेले रहते हैं। यह जिन लोगों के साथ में रहते है, वो समूह में रहते हैं। इस के कारण इनकी तरह—तरह की विचार धारा और अलग—अलग स्वभाव होता है। इनमें एक ही कमरे में विवाहित तथा अविवाहित 18 से 50 साल के लोग एक साथ रहते हैं। जिसके कारण इनका व्यवहार उच्च जोखिमपूर्ण अपने आप ही इनके इर्द गिर्द रहता है। बहुत सारे लोगों का व्यवहार जोखिम पूर्ण नहीं रहता परंतु जाने—अनजाने में उनका व्यवहार उच्च जोखिम पूर्ण हो जाता है। इसके कारण संक्रमण एक प्रवासी से दूसरे प्रवासी तक व अन्य प्रवासियों में फैल जाता है, क्योंकि प्रवासी मजदूर अधिकतर अशिक्षित कम पढ़े हुए रहते हैं। इसलिए इनको हर पहलुओं पर जागरूकता की कमी होती है। एच0 आई0 वी0 तथा टी0बी0 के प्रति प्रवासियों को समस्त जानकारी बिल्कुल ना के बराबर होती है। इस कारण से एच0 आई0 वी0 और टी0बी0 का प्रसार अधिक होता है।

भारत देश जहाँ पहले ही, एचआईवी एड्स व टी0 बी0 जैसे खतरनाक संक्रमण से जूझ रहा है।

वही कोरोना जैसी महामारी भी हमारे देश के अलग–अलग राज्यों तथा जिलों में अपना प्रभाव दिखा रही है। सारे देश में जहाँ कोरोना जैसी महामारी के कारण निरंतर असुविधा उत्पन्न हो रही हैं, वही देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान के भी कुछ जिलों जैसे चित्तौड़गढ़, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि में कोरोना का खतरा सबसे अधिक देखने को मिला है। कोरोना के कारण राजस्थान में होने वाले उत्पादन में भी काफी कमी आई है ।

पिछले वर्ष जहाँ लॉकडाउन ने कोरोना के खतरे को कम करने में सहायक हुआ, वहीं आम जनता के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण भी किया है। लेकिन कोरोना के कारण देश के लाखों मजदूर वर्ग को देश के एक कोने से दूसरे कोने में आने जाने में असुविधा हुई। देश में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के कारण लोगों को अपने घर जाने के लिए न केवल मीलों पैदल यात्रा करनी पड़ी बल्कि भूखे भी रहना पड़ा। सरकारी, अर्धसरकारी व समाज की अनेक संस्थाओं के द्वारा कई कार्यक्रमों के माध्यम से मजदूर वर्ग को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। फिर भी बहुत बड़ा समूह इन सभी सुविधाओं से वंचित रह गया था।

हम सबकी लापरवाही के कारण देश को फिर एक बार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना के खतरे को कम करने के लिए निरंतर मेडिकल डिपार्टमेंट व निजी संस्थान अपने–अपने स्तर से फील्ड वर्कर व द्वारा अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। टी0 आई0 संस्थान भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए माइग्रैंट लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये विशेष ध्यान रख रहा है।

टी0 आई0 स्टाफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एच0 आई0 वी0, टी0 बी0 तथा यौन रोगो के साथ–साथ कोरोना से भी लोगो को सुरक्षित रखना है। वह दूसरों को सुरक्षित रखने में सहयोगी बनना है। हम सब जब तक सामाजिक दूरी का पालना नहीं करेंगें, तब तक कोरोना के खतरे से अपने आपको नहीं बचा पाएंगें। हमें अपने हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना ही होगा। हाथों के हर कोने को साबुन से अच्छी तरह धोना है। ताकि कोरोना सक्रमण को एक हद तक रोका जा सके।

संस्थान की टी.आई. सेवाएँ व गतिविधियाँ निम्न है।

1. **वन दो वन मीटिंग/समूह मीटिंग–** इन के माध्यम से प्रवासी लोगों को एक–एक या समूह में मिलना, समूह पर चर्चा व बैठक करना, साथ ही उनको एच0 आई0 वी0 एड्स, टी0बी0 तथा एस0 टी0 आई0/आर0 टी0 आई0, कंडोम का सही उपयोग करना आदि के प्रति जागरूक करना संस्था के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।
2. **मिड मीडिया–** संस्थान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रवासी लोगों को HIV/AIDS, TB, CORONA, STI/RTI तथा कंडोम उपयोग के प्रति जागरूक करता है।
3. **जागरूकता शिविर–** इसका आयोजन प्रवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की जानकारी देने के लिए किया जाता है। ताकि अधिक से अधिक संख्या में प्रवासी लोग अपनी जाँच करवा सके।
4. **कांग्रिगेशन इवेंट–** इसके माध्यम से जहाँ पर अधिक लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर इस इवेंन्ट के माध्यम से टी0 आई0 परियोजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो सके।

5. **डिमांड जनरेट गतिविधि–** इस कार्यक्रम को प्रवासी लोग की जरूरत के अनुसार करवाया जाता है। इसके माध्यम से एच0 आई0 वी0, टी0 बी0, कोरोना, कंडोम व योन रोगों के प्रति जागरूक किया जाता है।

6. **एडवोकेसी–** इस गतिविधि में प्रवासी लोगों के लिए की जाने वाली पैरवी है। जिसमें CSR/HR, ठेकेदार, सरदार, सुपरवाइजर व अन्य लोग जो प्रवासियों के लिए टी0 आई0 गतिविधियों के आयोजन में बाधक हो तो उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाइश कर पैरवी की जा सके। इसके लिए एडवोकेसी कमेटी बनी हुई है।

7. **रिव्यु मीटिंग :–** ये मीटिंग साप्ताहिक, मासिक, त्रेमासिक होती है। इनके माध्यम से सभी स्टाफ के लोगों के कार्यों का अवलोकन M&E, PM, PD करते है। टी.आई. सम्बंधित सभी रिकार्ड्स जाँच व डेटा मूल्यांकन का काम M&E, PM, PD की जिम्मेदारी होती है।

8. **क्राईसेस :–** प्रवासी लोगों के बीच में यदि कोई वाद विवाद हो जाये तो संस्थान के स्टाफ/क्राईसेस कमेटी के माध्यम से वाद–विवाद को सुलझाने में मदद करती है।

9. **आउटलेट्स :–** इन आउटलेट्स से प्रवासी कंडोम को खरीद सकते है, यह आउटलेट प्रवासीयों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाये गये है जिससे आसानी से कंडोम प्रवासी खरीद सकतें है।

10. **डी. आई. सी. :–** संस्थान के पास तीन DIC है, पहली DIC ऑफिस में, दूसरी DIC चन्देरिया, तीसरी DIC सावा में हैं। इन DIC में प्रवासी मजदूर लोग मनोरंजन, आराम, परामर्श, क्लिनिक व कंडोम जैसी सुविधाऐं प्राप्त करते है। DIC के लिये एक कमेटी भी बनी हुयी है जो प्रवासी लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी उपलबध करवाती है।

11. **STI फोलोअप :–** यदि किसी प्रवासी में STI के लक्षण पाये जाते है तो उसको डॉक्टरी जाँच करवा कर दवाँई दी जाती है साथ ही उसका फोलोअप किया जाता है।

12. **परामर्श :–** परामर्शकर्ता टी.आई. द्वारा 14 प्रकार का परामर्श किया जाता है प्रवासी के उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार को जानकर उसमें कमी लाना है। प्रवासी को समझाना ही परामर्शकर्ता का मुख्य कार्य है।

13. **निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच/HIV जाँच :–** निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच के साथ HIV की भी जाँच की जाती है। साथ ही यदि VDRL किट भी मौजूद हो तो STI लक्षणों की जाँचें फ्री में की जाती है।

14. **रजिस्ट्रेशन :–** प्रवासी लोगों का रजिस्ट्रेशन तीन माध्यम से होता है। परामर्श, DIC, कैंप, इन सभी सर्विस में से किसी एक के माध्यम से प्रवासियों का नामांकन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट पूरा करना होता है। जो प्रवासी उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार से सम्मिलित होगें। उनको ही इस कार्यक्रम से जोड़ना है।

15. **रेफरल व लिंकेज :–** प्रवासी लोगों को आवश्यकता अनुसार उनको ICTC, ART,TB, DOT सेन्टर से लिंक करवाना है।

16.सरकारी / गैर सरकारी :– सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं से जोड़ना प्रवासी लोगों को सरकारी / गैर सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि वह किसी भी जिले, राज्य में रहें सुविधाओं का लाभ ले सकते है।

इस वर्ष भी 10000 प्रवासी मजदूर लोगों को एच.आई.वी. के प्रति जागरूक किया गया व उनको रजिस्ट्रर्ड किया गया प्रवासी लोग राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखण्ड, हरियाणा, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, असम से संबंधित है अधिकतर प्रवासी लोग इन सभी राज्यों के जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों, तहसीलों व गाँवों से है। प्रवासी लोग बहुतायत मात्रा में ग्रामीण लोगों की है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इधर–उधर पलायन करते रहते है।

परियोजना का उद्देश्य :–

- ⁕ 31 इंडीकेटर्स का अनुसरण करना।
- ⁕ 40000 लोगों से एकल व समूह में बैठक करना।
- ⁕ DIC में एकल व समूह में बैठक करना।
- ⁕ कंडोम उपलब्ध करवाना व महत्ता समझाना।
- ⁕ परामर्श कर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच करना।
- ⁕ पॉजीटिव आने पर उनको रेफरिंग करना।
- ⁕ अधिक से अधिक प्रवासी लोगों को टी.आई. से जोड़ना।
- ⁕ सरकारी / गैर सरकारी सुविधाओं से जुड़ाव करवाना।
- ⁕ 10000 उच्च जोखिम व्यवहार के प्रवासी लोगों का रजिस्ट्रेशन करना।
- ⁕ प्रवासियों को अन्य राज्यों में जाने पर, सरकारी सुविधाओं से जुड़वाना।
- ⁕ प्रवासियों को उनकी सुविधा के अनुसार टी.आई. से जोड़ना।

रणनीति :–

- ❖ छोटी व बड़ी साइट्स को भी कवर करना।
- ❖ कोरोना के प्रति जागरूक करना।
- ❖ कम समय में अधिक प्रवासी लोगों तक पहुँच बनाना।
- ❖ कंडोम की उपयोगिता समझाना।
- ❖ महिलाओं को उसके अनुसार बैठक आयोजित कराना।
- ❖ उच्च जोखिमपूर्ण व्यवहार के प्रति लोगों की समझ बनाना।
- ❖ प्रवासियों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- ❖ सभी गतिविधियाँ व सर्विसेस प्रवासियों के समय अनुसार करवाना।
- ❖ अनुकूल वातावरण बनाकर सर्विसेस प्रवासी तक पहुँचाना।
- ❖ एडवोकेसी, क्राईसेस मेंजमेंट के प्रति जागरूक करना।
- ❖ टी.आई. गतिविधियों व सर्विसेस में अधिक संख्या में लोगों का जुड़ाव।
- ❖ मिड मिडिया से लोगों में HIV/TB, ART, STI कंडोम, कोरोना व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना।

उपलब्धियाँ :–

- ❖ HIV/STI की जाँच उनके स्थान पर CBT के माध्यम से करना।
- ❖ सभी फैक्ट्रियों में आसानी से पहुँच बनाना।
- ❖ लगभग 25000 लोगों की एच.आई.वी. जाँच कर चुके है।

- सुपरवाइजर व स्टेक होल्डर से समय–समय सहायता प्राप्त करना।
- कलक्टर, SDM व रसद विभाग व अन्य विभागों तक पहुँच बनाना।
- महिला व पुरूषों को ध्यान में रखते हुए सर्विसेस प्रदान करना।
- प्रवासियों को उनके अनुसार टी.आई. सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।
- PMO/CMHO व ICTC प्रभारी, परामर्शकर्ता के साथ नेटवर्क बनाना।
- एडवोकेसी / क्राईसेस के माध्यम से प्रवासी को सर्विसेज की समझ बनाना ।
- प्रवासियों की सुगमता के लिए उनके क्षेत्र में 50 कंडोम आउटलेट्स बनाये गये है।
- प्रवासियों को सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना व समझ बनाना।
- लगभग 300000 लाख लोगों को टी.आई. प्रोग्राम के अर्न्तगत कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है।
- टी.आई. कार्यक्रम के तहत जिले में लगभग 3.5 लाख कंडोम बेचे गये है।
- कोरोना काल में संस्थान द्वारा टी.आई. कार्यक्रम के अलावा पैदल चल रहे प्रवासियों (लगभग 25000) को जरूरत अनुसार भोजन, फल, फुल, बिस्कुट, मास्क, सेनेटाईजर व साबुन इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराई गयी।
- लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के पी.एम. ममतासिंह चौहान, फील्ड ऑफिसर नरेंद्र गर्ग, कार्यकर्ता रमेशसिंह, कालूसिंह द्वारा एच.आई.वी. के साथ जी रहें लोगों को उनके घर जाकर ए.आर.टी. की दवाईयां पहुँचाई गई।

इन उपलब्धियों का श्रेय संस्थान के पीडी श्री शंकर सिंह रावत एवं पीएम. ममतासिंह चौहान, फिल्ड ऑफिसर नरेंद्र गर्ग एक ही पद पर इतने लंबे समय तक कार्य करने से हो पाया है। जिले के प्रत्येक एरिया में संस्थान के कार्यों से जाना जाता है।

महिला माइग्रेंट सर्वे रिर्पोट्स चित्तौडगढ़
United Nations Development Programme

ग्रामीण महिला विकास संस्थान चित्तौड़गढ़ के द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में UNDP के माध्यम से एक सर्वे का आयोजन किया गया। इस सर्वे में लगभग पन्द्रह सौ महिलाओं से GMVS टीम ने बातचीत की व उनको सर्वे की जानकारी दी गयी। उनमें से एक हजार माइग्रेंट महिलाओं से सम्बंधित डाटा उनकी सहमती से प्राप्त किया गया। बहुत सारी महिलाओं को इस सर्वे के लिए सुचना देनें में संकोच था लेकिन कुछ महिलाओं ने सुचना बहुत ही आसानी से दे दी। उनमें से कुछ ही महिलायें सरकारी व गैर–सरकारी योजनाओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। लॉकडाउन के समय व बाद में माइग्रेंट महिलाओं के कार्यों व उसके परिवार पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसका अवलोकन किया गया।

माइग्रेट महिला सर्वे में कुछ जानकारियाँ ली गई जिसमें निम्नलिखित अवलोकित किया गया :–

माइग्रेट महिला का नाम, उम्र, पति व पिता का नाम, उसकी शिक्षा, माइग्रेंट महिला अविवाहित / विवाहित है, उनके बच्चों की संख्या, बच्चे आंगनवाड़ी में है या स्कूल में, दोनों से मिलने वाली सुविधाएं, वे किस तरह के कार्यों से जुड़ी हैं, कार्य से मिलने वाली आय, यदि विधवा है तो क्या सरकारी पेंशन सुविधा प्राप्त है,

तलाकशुदा है, परिवार के सदस्यों की संख्या, यदि वह गर्भवती है तो अस्पताल से सुविधाएं मिली या नहीं मिली, जनधन खाते से सरकारी सहायता मिली या नहीं, खाना किस पर बनाती है, गैस सिलेण्डर मिला हुआ है या नहीं, साथ ही लॉकडाउन के समय पर सरकारी राशन या अन्य कोई सुविधा मिली या नहीं, घरेलू हिंसा परिवार/पति या अन्य बाहर के लोगो द्वारा किसी प्रकार की हिंसा हुई, यदि हिंसा हुई तो वह घरेलू हिंसा के लिए कहाँ से मद्द ले सकते हैं। इस सर्वे में कुछ इन माइग्रेंट तथा कुछ आउट माइग्रेंट महिलाओं से सूचनाएं संग्रहित की गयी। सर्वे में महिलाओं की गरिमा, मान–सामान का पूर्ण ध्यान रखते हुए किया गया। यह सर्वे जिन राज्यों की माइग्रेंट महिलाओं के साथ किया गया, वो भारत के विभिन्न राज्यों से सम्बंधित हैं, ये महिलायं अपने पैत्रक गाँव को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर, एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाकर जीवन यापन के लिए काम करते हैं। उन सभी राज्यों के नाम अग्रलिखित है :

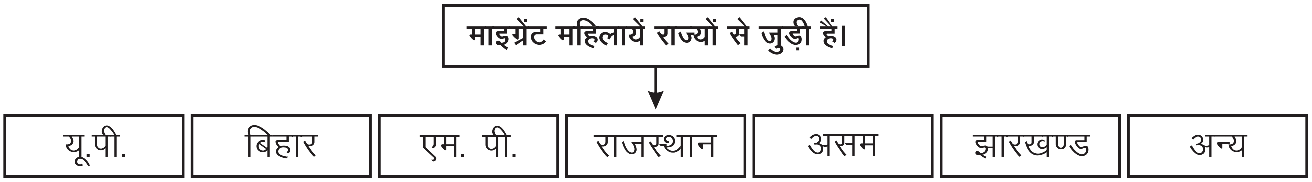

कुछ माइग्रेंट महिलायें राजस्थान के अनेक जिलों जैसे–प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बड़ीसादड़ी, डूंगला, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों की महिलाओं के साथ भी सर्वे किया गया।

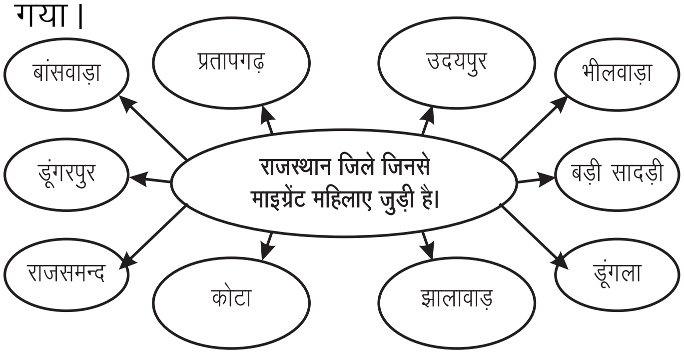

माइग्रेंट महिलायें जिन कार्यो से जुडी है उनमें मुख्य हैं:– ईट बनाना, सीमेंट फैक्ट्री, गुड बनाने, बिल्डिंग निर्माण, कपास फैक्ट्री, धागा फैक्ट्री, माइन्स, होटल, खाद फैक्ट्री व साफ–सफाई कार्य, सिलाई कार्य, खाना बनाने, कपडे धोने, व अनेक ऐसे छोटे–मोटे कार्यो से सम्बंधित हैं। एक माइग्रेंट महिला की दैनिक आय 200 से 400 रूपये हैं। परन्तु लॉक डाउन में ये परिस्तिथियाँ अलग थी। उनको खाने तक का गुजारा बहुत ही मुस्किल से हो पाया। कई बार बिना खाना खाए भी सोना पड़ा। मीलों उनको अपने घर जाने के लिए पैदल चलना पड़ा। पैरों में चलते चलते छाले पड गए थे। ऐसी परिस्तिथियों में 20 से 30 दिनों में अपने घर पहुँच पाए। इस समय पर न पास में रूपये–पैसे न कोई काम धन्धा न कोई ऐसा सहारा जिससे उनको कोई भी मदद मिल पाए। सरकारी सुविधा भी नहीं प्राप्त हो रही थी क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट पुरे नहीं थे। जिस कारण सुविधा मिलना मुश्किल था।

ईट भट्टों पर ईट बनाना, ईटों को सुखाना, ईटों का लोडिंग/अनलोडिंग का काम, अधिकांश महिलाओं का सबसे सरलतम काम हमने सर्वे के समझ पाया कि महिलाओं को दिन भर में 250 से 300 रूपये की मजदूरी आसानी से मिल जाती है। परन्तु इसके बदले में ठेकेदार उनसे निश्चित टारगेट पर काम करवाता है। उनकी मजदूरी भी टारगेट आधारित ही होती है। बारिश के समय ये काम बिलकुल बंद रहता है।

माइग्रेंट महिलायें फैक्ट्रियों में भी काम करती हैं, जैसे की सीमेंट, खाद, कपास, धागा, आदि अनेक बड़े–बड़े प्लांट्स हैं। यहाँ पर काम करके महिलायें 250 रूपये रोज कमा लेती हैं। यहाँ पर पुरे माह काम चलता है।

इसी के साथ कुछ महिलायें, सिलाई, साफ–सफाई, खाना बनाने से जुडी हुई थी। ये वो महिलायें थी, जो कि अपने घर के कार्यो से निपट कर बचे हुए टाइम में ये सब काम करती हैं, जिसके बदले में उनको 100 से 200 रुपए की मजदूरी कुछ घंटो के काम करके प्राप्त हो जाती है।

कुछ महिलायें होटल में काम करती हैं। उसके बदले में उनको 200 से 300 रूपये रोज मिल जाते हैं। यहाँ इनको खाना बनाने से लेकर साफ सफाई व अन्य काम भी करना पड़ता है। गुड बनाने के लिए भी एक समुदाय आता है। जिनका काम सिर्फ गुड बनाना है। ये काम भी ऋतु आधारित है। इसमें अधिकतर मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के लोग काम करते हैं।

महिला माइग्रेंट की शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है। अधिकतर महिलायें 5वी से कम पढ़ी हुई मिली, जिसके कारण उनको किसी भी तरह की सरकारी व ग़ैरसरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। उनमें से बहुत सारी महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही हो गयी थी। जिससे कम उम्र में ही माँ बन गयी थी। सामजिक दबाव के कारण वो ना चाहते हुए भी इसे नहीं रोक सकती थी। अधिकतर महिलाओ के 2 से 4 बच्चे मिलें।

विधवा महिलाओं की बात करें तो कुछ को पेंशन मिल रही है और कुछ को नहीं, उनको पता ही नहीं है कि पेंशन के लिए कहा जाना पड़ेगा। महिला माइग्रेंट शाम को दारू का सेवन भी करतीं हैं, कुछ लोग पति–पत्नी दोनों ही अपनी थकान दूर करने के लिए दारू का सेवन करते हैं, जिसके कारण कभी–कभी हिंसा, यौन शोषण जैसी अनेक प्रताड़ना को सहना पड़ता है। जिन माइग्रेंट महिलाओं का सर्वे किया गया वो मुख्यतः SC/ST की महिलाये थी। जिनमें कुम्हार, मीणा, कंजर, बलई, पारदी, रावल, रेगर, भूरिया, कटारा, गमोर, बंजारा, नट, बेरवा, जोगी, सिंगवाल, लुहार, मोगिया, नाथ, कालबेलिया, बगरी, खान, गाड्डीलुहार, भील, बगरी, डामोर, प्रजापत, बागरी, मईडा, गमेती, ओड, पासवान, वासोनी, मराठा, पटनी, बार्बर, मेघवाल, सेन, भांभी, व अन्य समुदाय के मुख्यत लोग थे।

चुनौतियाँ :–

1. इस सर्वे के दौरान कुछ महिलायें हमसे बात नहीं करना चाहती थी।
2. महिलाओं में डर था कि दुसरो को उनके बारे में पता चलेगा तो कही वो हंसी का पात्र न बन जाये।
3. दारू पीये हुए होने कारण मन में हिचक तो सुचना लेने में देर लगी।
4. ठेकेदार लोगों ने सर्वे में बाधा डाली। वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ की कोई भी जानकारी हमको मिले।

5. घरेलू हिंसा जैसे सवालों का जवाब हमको बहुत जतन करने पर मिला।
6. सर्वे को बेहतर बनाने के लिए अलग–अलग स्थानों का चयन करना पड़ा, जिसके लिए हमको अनेक जिलों की सीमाए पार करनी पड़ी।
7. समय सीमा बहत कम थी, क्योंकि इतनी सारी सूचनाओं का संकलन करना आसन कार्य नहीं था।
8. माइग्रेंट महिला अपना मोबाइल नम्बर नहीं देना कहती थी।
9. खातों की जानकारी देने में संकोच था।

सर्वे डाटा पूरा संग्रहित होने के बाद, अंत में सभी माइग्रेंट महिलाओ को सरकारी योजनाओ, श्रमिक कार्ड, अस्पताल से सम्बंधित योजनाओ की जानकारी HIV/TB व कोरोना के साथ अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी दी। घरेलू हिंसा जैसे मारपीट, गाली गलोच, छेड़छाड़, अश्लील इशारे करना या फिर गंदे वीडियो या मेसेज भेजना, गलत बोलना, कार्य स्थल पर शोषण करना आदि विषय पर इनको जानकारी दी। उनको बताया गया कि घरेलु हिंसा सहना व करना दोनों ही अपराध है। महिला थाने जाकर मद्द ले सकते हैं। परिवार परामर्श केंद्र से भी मदद ले सकते हैं। राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, भामाशाह कार्ड, जनधन खाता, जननी सुरक्षा योजना, पालनहार योजनाओं की जानकारी दी।

बाजरा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कार्यक्रम, अजमेर
Millet Processing And Value Addition Cluster, Ajmer

लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार स्फूर्ति प्रोग्राम के अर्न्तगत नोडल एजेन्सी, पी.पी.डी.सी. आगरा, तकनीकी सहयोग तथा निसर्ग संस्थान भोपाल के मार्गदर्शन से ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा खायडा किसान समृद्धि प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेड में बाजरा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन प्रोसेसिंग यूनिट लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के वित्तिय सहयोग से स्थापित की जा रही है। जिसमें कम्पनी से जुड़े किसानों को अपना उत्पादन स्थानीय स्तर पर बिना किसी खर्चे के बिक्री किया जा सकेगा। प्रोसेसिंग यूनिट से स्थानीय कारीगरों को रोजगार उपलब्ध होगा। जिसमें शेयर धारकों को अपनी आय बढ़ाने हेतु अवसर मिला है।

बोर्ड बैठक :–

खायडा किसान समृद्धि प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेड की मासिक बैठक व साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया गया। जिसमें भारत सरकार स्फूर्ति प्रोग्राम के अर्न्तगत दिये गये वित्तिय सहयोग से निर्माण कार्य के निरिक्षण हेतु जिम्मेदारी दी गई तथा निर्माण कार्य को स्फूर्ति के निर्णयानुसार किये जाने हेतु मान्य किया गया।

क्षमता वर्धन बैठक – बाजरा एवं मूल्य संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के वित्तिय सहयोग से संचालित प्रोसेसिंग यूनिट से होने वाले लाभ तथा मिलने वाले रोजगार तथा नवीनतम कार्यो के बारे में किसानों का क्षमता वर्धन किया गया। क्षमता वर्धन प्रशिक्षण में किसानों को कम्पनी में होने वाले प्रोसेसिंग कार्यो तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगें। बाजरा प्रसंस्करण से बिस्कुट, लड्डु आदि बनाये जायेंगें। स्थानीय स्तर पर किसानों को अपने उत्पादित बाजरे को बेचने के लिये प्लेटफार्म उप्लब्ध होगा, जिससे

किसानों को अपने उत्पादन की बिक्री हेतु बिचौलिया द्वारा काटे जाने वाले कमीशन तथा किराया लागत से राहत मिलेगी। मण्डियों के बजाय अधिक पैसा मिलेगा तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी। किसान अपने उत्पादन की ग्रेडिंग भी करवा सकता है। किसानो को अपने स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। किसानों को अच्छी किस्म के बीज की बुवाई हेतु प्रेरित किया गया। उत्पादन वृद्धि के लिये कृशि के सभी कार्य समय पर पूर्ण करना तथा रासायनिक खादों का उपयोग कम करने व जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित किया गया। घरेलू स्तर पर उपलब्ध बीजों का बीजो उपचार करने हेतु बताया गया। बीजों की ग्रेडिंग अपने स्तर पर करने के उपाय बताये गये ताकि बीजो के अंकुरण स्तर को जांचा जा सके तथा बीजो उपचार करके फसलो में होने वाले रोगो से बचाया जा सके आदि विशयों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गयी।

सामान्य जागरूकता बैठक – किसानो को प्रोसेसिंग से होने वाले लाभ तथा किसानों की युनिट में अहम भूमिका के बारे में जागरूक किया गया तथा कम्पनी से जुडने हेतु प्ररित किया गया। जागरूकता बैठक विभिन्न गाँवों में की गई। जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे किया जा सकता है, विशय पर चर्चा के माध्यम से जागरूक किया गया। जागरूकता बैठक के माध्यम से किसान प्रड्यूसर कम्पनी की शेयर राशि बढाने हेतु किसानो को जागरूक किया गया जिसमे अपनी कम्पनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि का सभी किसानो में लाभांश वितरण होने के साथ–साथ कम्पनी का इन्टरनेट मार्कट से जुडाव भी बढेगा । किसानो को सरकार द्वारा लागु कि गई योजनाओ के बारे में अवगत कराया गया जिसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कृशि की योजनाओ जैसे – फार्म पोन्ड निर्माण, फव्वारा सैट, पाइप लाइन, कृशि यंत्रो के बारे में जानकारी, कल्टीवेटर, लेवलर, सीड डील आदी के अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजो के बारे में जागरूक किया गया।

फसल बीमा – किसानो द्वारा लिये गये कृशि ऋण को समय–समय पर जमा करवाने हेतु अवगत कराया गया ताकि फसल बीमा किया जा सके तथा प्राकृतिक विपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई

क्र.सं.	गाँव का नाम	लाभार्थियों की सं.
1	शोकलिया	05
2	खायड़ा	124
3	पिपलिया	46
4	सोलखुर्द	27
5	सोलकला	62
6	उदयपुर खेड़ा	63
7	बडला खेड़ा	76
8	चापानेरी	47
9	नान्दसी	17
10	तेलाड़ा	20
11	सोबड़ी	30
12	माताजी काखेड़ा	20
13	गोवलिया	27
14	कनेई कला	26
15	पिलोदा	23
16	बडला	28
17	बड़गांव	26
18	बड़ली	14
19	देवलिया कलां	12
20	सिंघावल	7
21	गुर्जरवाड़ा	12
22	हियालिया	24
23	गनाहेड़ा	07
24	रेण	5
25	रामसागरिया	11
26	अर्जुनपुरा	10
27	बुबकिया	14
28	भेरू खेड़ा	18

कि जा सके। किसानो द्वारा अपनी स्वेच्छा से चिंहित फसलो का बीमा करवाने हेतु बैंक को लिखित में देना होगा। ताकी किसानो द्वारा चयनित फसल की ही बीमा राशि लगेगी। फसल में किसी भी तरह के रोगो से बचाव के लिये कृशि पर्यवेक्षक से समय–समय पर सम्पर्क करने तथा उनके बताये अनुसार कार्य करने के लिये किसानो को प्रेरित किया गया।

बाजरा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कार्यक्रम, अजमेर की झलकियां

ग्वारगम और इसबगोल प्रसंस्करण कार्यक्रम, नागौर
Guargum and Isabgol Processing Cluster, Nagaur

लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के वित्तिय सहयोग से किसानों के परम्परागत कृषि पद्धति में आज के समय के साथ परिवर्तन करके उनकी आय में वृद्धि करने हेतु संचालित स्फूर्ति योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा निर्मित निरंतर एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी हेतु चयन किया गया। जिसके लिए इस योजना में नोडल एजेंसी प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा (उ.प्र.), (पी.पी.डी.सी.) एवं तकनीकी सहयोग के लिए निसर्ग एग्री–प्रेनेरशिप फाउण्डेशन, भोपाल (म.प्र.) द्वारा किसानों को अपने फसल को अपनी ही कम्पनी बनाकर उसमे ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके अपनी आय में वृद्धि करने के लिए ग्वारगम और इसबगोल प्रसंस्करण क्लस्टर का निर्माण किया गया।

उद्देश्य :

* प्रसंस्कृत उत्पादन के सामान्य भण्डारण जैसे :– ग्वारगम और इसबगोल।
* बेहत्तर लाभ के लिये क्लस्टर से मार्केटिंग करना।
* कौशल विकास, मार्केटिंग और बेहत्तर उत्पादन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।
* मूल्य वर्धन के लिये क्लस्टर स्तर पर पैकेजिंग और उत्पादन का विकास करना जैसे– हाईड्रोक्सी, ग्वारगम, इसबगोल एवं पशु चारा।

इस क्लस्टर के लिए रिया बड़ी पंचायत समिति के ग्राम बासनी जग्गा में एक क्लस्टर का प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमे ग्वार व इसबगोल की फसलों को किसानो से उचित दर पर खरीद करके उनके उत्पाद बना कर उनको अच्छे दामों पर बेचकर होने वाले लाभ को किसानो में शेयर के आधार पर उनको कम्पनी का लाभांश वितरित करके उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। इस क्लस्टर में अभी तक 800 किसानों को सम्मिलित किया गया हैं, जो की बासनी जग्गा ग्राम के आस–पास के 15 ग्रामों के किसान हैं।

क्र.सं.	गाँव का नाम	लाभार्थियों की सं.
1	बासनी जग्गा	148
2	लाडपुरा	131
3	रावत खेड़ा	109
4	नृसिंह बासनी	87
5	दौलतपुरा	68
6	कोड़	53
7	कालनी	49
8	सूरजगढ़	33
9	अलनीयावास	29
10	पिपलिया	20
11	तेहरा	19
12	देवगढ़	16
13	सथांना	14
14	सथांनी	13
15	गुड्ढा	11
	कुल	**800**

बोर्ड बैठक – निरन्तर एग्रो फूड प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों की साप्ताहिक एवं मासिक बैठकों के आयोजन में किसानो के आर्थिक व सामजिक परिपेक्ष में मद्द करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में विकास करने को लेकर भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के अंतर्गत क्लस्टर का निर्माण करने व निरिक्षण करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई।

जागरूकता बैठक – स्फूर्ति योजना में बने क्लस्टर **"ग्वार गम और इसबगोल प्रसंस्करण क्लस्टर"** में किसानो को हर क्षेत्र में जागरूक करने हेतु जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानो को षि, पशुपालन, बैंकिग इत्यादि क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाकर उनके द्वारा किसानो को विस्तृत रूप में जानकारी देते हुए उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया। कुल 12 जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया जिनमे 500 किसानों को जागरूक किया गया।

क्षमता वर्धन बैठक – ग्वार गम और इसबगोल प्रसंस्करण क्लस्टर के अंतर्गत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किसानो की क्षमता वर्धन हेतु क्लस्टर योजना से होने वाले लाभों, रोजगार एवं नवीनतम तकनीक से अधिक से अधिक लाभ कमाने हेतु उनका क्षमता वर्धन हेतु बैठकों का आयोजन किया गया। कुल 13 बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे लगभग 500 किसानो ने हिस्सा लिया। ग्रामीण महिला विकास संस्थान एवं ग्वार गम और इसबगोल प्रसंस्करण क्लस्टर के द्वारा किसानों हेतु कम कीमत पर खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशकों की उपलब्धता करवाना सुनश्चित किया जा रहा हैं., जिससे किसानो की बिचोलियों पर निर्भरता कम की जा सके।

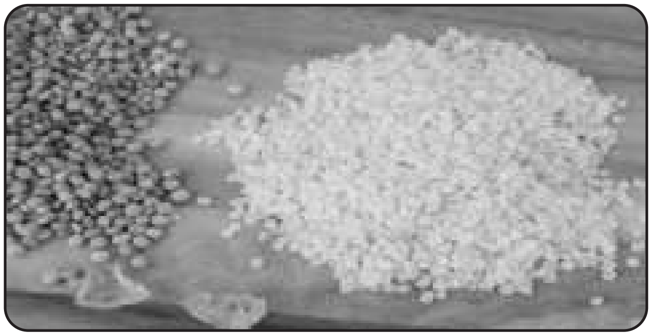

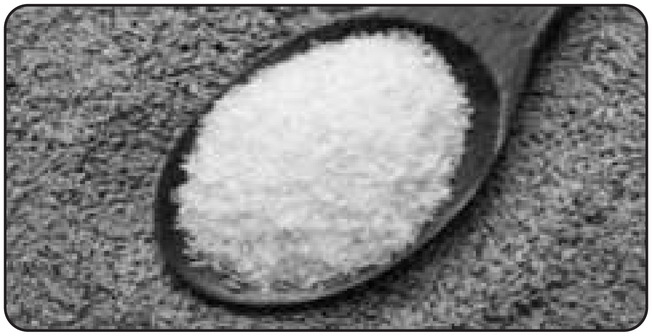

रूरल आई हेल्थ कार्यक्रम, नागौर
Rural Eye Health Programme, Nagaur

पृष्ठ भूमि – राजस्थान के नागौर जिले में थार का मरूस्थल व मार्बल की बहुत खादाने पाया जाती है। राजस्थान के नागौर जिले के परबतसर, कुचामन, डीडवाना व डेगाना आदि ब्लाक में सबसे अधिक मोतियाबिन्द के रोगी पाये जाते हैं। इन सभी ब्लो में कोई भी चैरिटेबल नेत्र चिकित्सालय नहीं है जो कि अच्छी सुविधाओं के साथ ग्रामीणों का ईलाज कर सके। इसी लिये ग्रामीणों को बीकानेर, जयपुर और अजमेर जाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साईट सेवर संस्था और शंकरा नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नागौर जिले में मोतियाबिन्द को जड़ से मिटाने के लिये "नेत्र–वसंत" कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं साईट सेवर संस्था के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा नागौर जिले में मोतियाबिन्द उन्मूलन के लिए एक रूरल आई प्रोग्राम "नेत्र–वसंत" का संचालन किया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा नागैर जिल में बनाये गये महिला समुहों, किसान क्लब व किसान उत्पादन संगठन के सदस्यो के साथ मिलकर मोतियाबिन्द उन्मूलन कार्यक्रम किया जायेगा। जिसके अर्न्तगत नागौर जिले की 8 पंचायत समितियों (मकराना, परबतसर, कुचामन, नावां, डीडवाना, रिया बड़ी, मेड़ता व डेगाना आदि) को लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रोग्रम का मुख्य कार्य लोगो को जागरूक करना, उनके नेत्रो की जाँच करना, मोतियाबिन्द के रोगियों को ढूढकर उन्हें नेत्र रोगो के प्रति जागरूक करना आदि है। इसके लिये ग्रामीण महिला विकास के द्वारा नागौर जिले की परबतसर और मकराना पंचायत समिति में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत उन्हें मोतियाबिन्द की जाँच करने के विशय में सामान्य जानकारी दी जायेगी। जिसके माध्यम से नागौर जिले में नेत्र रोगियों की जाँच की जा सके। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करवाकर उनके माध्यम से हर गाँव तथा ग्राम पंचायत में सामजिक कार्यकर्ता तैयार करके रोगियों को ढूँढकर फिर उनके लिए केम्प लगवाकर उनका ऑपरेशन करवाया जा सके, जिससे की नागौर जिले को मोतियाबिन्द मुक्त बनाया जा सकें। मास्टर ट्रेनरर्स द्वारा मोतियाबिन्द के मरीजो को शंकरा आई होस्पिटल के सहयोग से केम्प लगाकर उन रोगियों को बस के माध्यम से जयपुर ले जाया जायेगा और फिर ऑपरेशन करवाकर वापस उनके गाँव तक पहुचाया जायेगा तथा ऑपरेशन के बाद उनका फॉलोअप किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न कार्यो को क्रियान्वित किया जायेगा।

- ❋ रोगियों का फॉलोअप लेना।
- ❋ घर–घर जाकर ग्रामीणों के नेत्रो की जाँच करना।
- ❋ ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र स्वास्थय के लिये जागरूकता फैलाना।
- ❋ ब्लॉक स्तर पर कैम्प लगाकर ग्रामीणों के नेत्रों की जाँच करना।
- ❋ शंकरा नेत्र चिकित्सालय द्वारा मोतियाबिन्द रोगियों का निःशुल्क इलाज करना।
- ❋ ग्रामीणों में क्षमतावर्धन करना, जिससे लोगों को नेत्र स्वास्थय के प्रति जागरुक किया जा सके।

इस कार्यक्रम में समूह, किसान क्लब व सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर बनाना। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देकर उनको ग्रामीण क्षेत्र के लोगो कसे जागरूक करने इत्यादि कार्य इस कार्यक्रम में अर्न्तगत किये जायेंगें।

कोरो फॉर लिटरेसी का क्वेस्ट धरातलीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम
CORO FOR LITERACY Quest Grassroot Leadership Development Programm

ग्रामीण महिला विकास संस्थान और ग्रामीण महिला जागृति समिति के एक–एक पंचायत समिति के तीन–तीन गाँवों में फेलोशिप कार्यक्रम जून 2016 से किया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, फार्म भरना व सिलाई बुनाई आदि योजनाओं से जोड़कर रोजगार दिलाना व कौशल सिखाने का कार्य किया गया। कोरो संस्थान के द्वारा गाँव की अलग–अलग समस्याओं पर जैसे– बाल विवाह, बालिका शिक्षा, मृत्यु भोज, रुढीवादी परम्परा, अन्धविश्वास, जैसे मुद्दों पर गाँव के लोगों को जागरुक करना व उनसे होने वाले कुप्रभावों से अवगत करवाया गया। स्थानिय महिलाओं को फेलो बनाया ताकि महिलाओं को रोजगार मिले और अपने और आस–पास के गाँवों में उन महिला को फेलो के रूप में चुना गया जो कि खुद फेलो भी मुद्दो से प्रभावग्रस्त है। इसलिए श्रीनगर पंचायत समिति के गाँवों में कोरो संस्थान के साथ पाइलेट कार्यक्रम कर रही है। वर्तमान में अजमेर जिले के हाथिपट्टा व मोहनपुरा गाँव में सभी लोगो के साथ बैठक, केम्प, शिविर, नुक्कड नाटक, रेलियाँ, चौपाल व प्रशिक्षण किया उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरो की इस प्रकार की परियोजना से गाँव के लोगों की सोच बदलने लगी है। संस्थान को भी इस तरह के मुद्दों पर कार्य करने से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोगों की फेलोशिप कार्यक्रम में रुचि बढने लगी है। कोरो संस्थान उनके बारे में परिवार की तरह सोचने व कार्य करने से लोग अपनी परम्पराओं को बदलने के लिए तैयार है। संस्थान भविष्य में कोरो के साथ जुडकर अन्य गाँवों में भी इस तरह के कार्य करना चाहती है। फेलोशिप कार्यक्रम के लिए संदर्भ व्यक्ति भी तैयार किये जा रहे है। इस कार्यक्रम से निम्न बदलाव आये है–

समुदाय में बदलाव – कोरो से जुडने के बाद समुदाय में बदलाव आये। कुछ लोगों की सोच में बदलाव आया कि लोग जहाँ हमारे मुद्दे पर कुछ सुनना पसन्द नहीं करते थे। अब वे बैठकों में आने लगे है।

राजनैतिक बदलाव – राजनितिक क्षेत्र में यह बदलाव आया कि पहले महिलाएँ पंचायत तक नहीं जा पाती थी पर अब वो पंचायत जाने लग गई है। पहले सरपंच से बात नहीं कर सकती थी पर अब वह सरपंच के सामने अच्छे से बोल सकती है।

शैक्षणिक बदलाव – कोरो से जुडने के बाद हमारे समुदाय में शैक्षणिक बदलाव आये। हमारे समुदाय कि

लगभग 10–15 लडकियों ने जिन्होनें स्कूल छोड दी थी। उन्होनें वापस अपनी पढाई शुरु की। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर बाहर जाना होता था पर अब गाँव में ही माध्यमिक विद्यालय हो गया है तो बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में लाभ हुआ।

सामाजिक बदलाव – सामाजिक बदलाव में यहाँ हमारे मुद्दें पर बात करने व मीटिंग में आने से महिलाएँ डरती थी और घर की बहुएँ नहीं आती थी तो अब वे आने लगीं है।

स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम-ग्रामीण महिला विकास संस्थान
Self Help Group Formation Programme-GMVS

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी–अजमेर के द्वारा पिछले 17 वर्षों से अजमेर व नागौर जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूह गठन व संचालन निरन्तर किया जा रहा है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से गठित महिला समूहों में महिलाओं को संगठित किया जाता है। क्योंकि समूह स्तर पर महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जाता है। इस मंच पर महिलायें एकत्रित हो कर सर्वप्रथम आर्थिक स्तर के बारे में मंथन करके महिलाओं को छोटी–छोटी बचत करना सिखाया जाता है। समूह गठन के 6 माह बाद समूह को बैंक से जोड़ा जाता है। ताकि महिलाओं को वित्तीय जानकारी मिले। बैंक में समूह के नाम से बचत खाता खोला जाता है और जब समूह को लोन की आवश्यकता हो तब समूह बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कर सकता है।

सन् 2004–2005 में जब समूह गठन परियोजना की शुरूआत हुई तब बैंक में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओ को लोन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी या फिर महिलाओ को कोई भी बैंक लोन देने में असमर्थ थी। संस्थान ने बैंको को समझाया की महिला स्वयं सहायता समूह को लोन दिया जाये और 100% रिक्वरी की जिम्मेदारी संस्थान के शुरूआत में ली। जिससे बैंको को धीरे–धीरे महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम पर विश्वास होने लगा था।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी–अजमेर के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय राष्ट्रीय सहयोग से सन् 2004 से महिला स्वयं सहायता समूह गठन व संचालन कर रही है। 2004 से अब तक संस्थान नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से अजमेर व नागौर जिले में 2250 महिला स्वयं सहायता समूहो का गठन करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। वर्तमान में अजमेर जिले में 1000 समूह व नागौर जिले में 600 समूह का संचालन किया जा रहा है।

समुह से जुड़ी महिलाओं को 15 हजार से 75 हजार रूपये बैंक लोन समुह गारंटी पर मिल जाता है। जिससे महिला अपनी आजीविका को बढ़ाने का कार्य कर सकती है। महिला समूहों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है ताकि महिलायें आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रकार महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्राम पंचायत, अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सम्पर्क में आने से सामाजिक विकास में भी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य समूह गठन करके संगठित करना हैं। संस्थान उसी उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर कही है।

संस्थान ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ जुडकर समूहो को उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंक लोन दिलवाती है। समूह को प्रथम लोन प्रति महिला को 15000/– रू. का दिलवाती है ताकि महिला को बैंक और समूह में लेनदेन की जानकारी हो सके उसके बाद समूह की बचत के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लोन देती है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हर माह संस्थान द्वारा संचालित समूहो को 2 से 3 करोड रूपये का बैंक लोन देती है। संस्थान के समूहो की 100% रिक्वरी है जो कि समूहो की गुणवत्ता और जागरूकता को दर्शाती है।

उद्देश्य :

1. अलग–अलग महिलाओं को एक समूह में संगठित करना।
2. महिलाओं को जागरूक करना।
3. महिलाओं को समूह के माध्यम से बैंक से जुड़ाव करना।
4. बैंकों से ऋण की पूर्ति करना।
5. महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना।
6. महिलाओं के हुनर को निखारना।
7. सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से जुड़ाव करना।
8. शिक्षित करना।
9. प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमतावर्धन करना।
10. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लाना।
11. महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पाद को उचित दामों में बाजार में बेचना।
12. बाल विवाह व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
13. ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ना।

रणनीति :

1. महिलाओं को जागरूक करके सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियों में ज्यादा सहभागी बनाना।
2. क्षेत्र, गाँव व महिलाओं का चयन करके समूह गठन करना।
3. बचत की आदत निरन्तर डालना।
4. बैंको से जोड़कर ऋण उपलब्ध करवाना।
5. महिलाओं की आवश्यकता पढ़ने पर महिलाओं से मदद करवाना।

समूह बचत खाता खुलवाना– नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करके 6 माह बाद ICICI बैंक में समूह का बचत खाता खुलवाया जाता है ताकि समूह का बैंक से जुडाव हो सके और बैंक की गतिविधियों को जान सके। जब समूह को ऋण लेने की आवश्यकता हो तो बैंक लोन के लिए समूह आवेदन कर सके।

समूह सदस्यो को बीमा से जोडना– महिला समूह के सदस्यो को बीमा के प्रति जागरूक करना और लोन का बीमा के साथ जीवन बीमा से जोडना ताकि भविष्य में महिला के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो उसके परिवार को बीमा से अधिक सहायता मिल सके।

शिविरों का आयोजन– स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं को स्वास्थ्य शिविरों से जोडकर लाभान्वित किया। जैसे कि महिला कानून, श्रमिक के अधिकार, श्रमिक कार्ड बनवाना, परिवार नियोजन शिविर इत्यादि शिविरों के साथ हर वर्श महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसमे महिलाओं द्वारा किये गये कार्यो व अनुभवो का आपस में बताया जाता है। ताकि एक दूसरी महिलाओं से प्रेरणा मिलती है।

समूह प्रशिक्षण– नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्धन, लीडरशीप, लघु उद्योग व समूह संचालन के प्रशिक्षण समय–समय पर दिये जाते है। ताकि समूहों की गुणवत्ता बनी रहे और समूह सदस्यों को रोजगार से जोडा जा सके।

समूह ऑडिट– संस्थान द्वारा गठित समूहों की हर वर्ष ऑडिट की जाती है, और समूहों की वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाता है। ऑडिट के बाद समूह लाभांश भी सदस्यो को वितरण किया जाता है।

समूह ग्रेडिग– महिला स्वयं सहायता समूहो की गुणवत्ता को जाँचने के लिए ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग के बाद जो भी समूह मे खामिया रहती है उसके लिए योजना बनाकर प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र.सं.	जिले का नाम	समूह की संख्या	बैंक लिंकेज
1	अजमेर	1000	1000
2	नागौर	300	300
	कुल	**1300**	**1300**

समूह बैंक लोन– जब समूह गठन के 6 माह बाद समूह का बचत खाता खुल जाता है तब समूह बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करता है। बैंक लोन लेने के समय समूह के सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है ग्रुप फोटो ली जाती है ताकि भविश्य कोई महिला इनकार नही कर सकती है क्योकि ग्रुप फोटो के साथ लोन फाईल में समूह के सभी सदस्यों में जानकारी रहती है। लोन लेते समूह लोन राशि, लोन किश्त कितने माह में चुकता करना और बैंक लोन पेनल्टी के बारे में सभी सदस्यो को जानकारी रहती है।

आजीविका वर्धन गतिविधियाँ– ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी–अजमेर के द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन व संचालन किया जा रहा है। समूहो को बचत के साथ–साथ आजिविका वर्धन की गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। और समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। ताकि महिला आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सके। संस्थान विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आजीविका वर्धन गतिविधियों से जोडने में सफल होती है। ताकि समूह की महिला बैंक से लोन लेती है उसे समय पर बैंक को वापिस चुकता करने में सक्षम होती है। महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत भिनाय ब्लॉक के 50 सदस्यों को कस्टमर हाईजिंग प्रोग्राम से जोडा गया जिसमें प्रति सदस्य 2.30 घण्टा टैक्टर द्वारा खेती हकाई कार्य किया गया जो 100% मुफ्त था महिला सदस्यो को लगभग 100000 / – रूपये का सीधा लाभ मिला साथ समय पर कार्य पूर्ण हो गया।

कोरोना काल में संस्था के कार्य
Covid-19 Work by GMVS

इस कोविड–19 रूपी महामारी में हर तरफ लोगो में डर का माहौल व्याप्त है। इस महामारी ने दुनिया के बहुत बडे हिस्से को प्रभावित किया है। जिधर भी देंखें उधर ही कोरोना से पीड़ित होने वाले व मरने वालो की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विशम परिस्थितियों में लोगो को अपनी आजीविका के साधन जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार ठप हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में गरीब

आदमी को दो वक्त की रोटी मिलना भी कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा 20 गाँवों में जहाँ हंस मोबाइल मेडिकल सर्विसेज के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, उन सभी गाँवों में खाद्य सामग्री (आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, साबुन, चायपत्ती इत्यादि) सेनेटाइजर, हेंडवॉश, मास्क, जूस, बिस्कुट, चॉकलेट, चॉको पाई, टॉफी तथा दवाइयाँ आदि वस्तुए गाँव में रहने वाले लोगो को वितरित की गई।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा कोरोना काल में भी गाँवों में जाकर ग्रामीणो की सेवा की गई व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गई। कोरोना के कारण जहाँ गाँवों में डॉक्टर उपलब्ध नही थे वहाँ ग्रामीण महिला विकास संस्थान की टीम ने घर–घर जाकर कोरोना से पीड़ित मरीज़ो को दवाइयाँ देना, इन्जेक्शन लगाना, ड्रीप लगाना, आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी गई। इस कार्य में ग्रामीण महिला विकास संस्थान के मेल नर्स अमर भार्गव तथा नर्स कंचन पारिक ने विशेश भूमिका निभायी। परियोजना अधिकारी प्रीति ईनाणी द्वारा जागरूकता बैठको के माध्यम से गाँव के लोगो को कोरोना से बचने के उपाय बताये और उन्हे जागरूक किया।

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक संस्थान द्वारा लाभार्थियों को किये गये सहयोग का विवरण –

क्र.सं.	राशन सामग्री	लाभार्थी संख्या
1	मास्क	20000
2	दवाईयाँ	5000
3	खाद्य सामग्री (आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, साबुन, चायपत्ती आदि)	8000
4	सेनेटाइजर	10000
5	हेंडवॉश	3500
6	पी.पी.ई. किट	500
7	दस्ताने	5000
8	फेस शील्ड	2000

सहयोगी संस्थाएँ

1. द् हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली।
2. नाबार्ड, जयपुर।
3. सेन्टर फॉर माईक्रो फाईनेन्स, जयपुर।
4. चोलामण्डल–तमिलनाडु (चेन्नई)।
5. भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर
6. अरावली–जयपुर।
7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर
8. यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली
9. निसर्ग एग्रीप्रिनरशिप फाउण्डेशन, भोपाल
10. साईट सेवर्स, नई दिल्ली
11. राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर
12. मिनाक्षी मिशन हॉस्पिटल और रिसर्च सेन्टर (विटामिन ऐन्जल) तमिलनाडु
13. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
14. प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा (PPDC, Agra)

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN (GMVS)

Organizational Structure

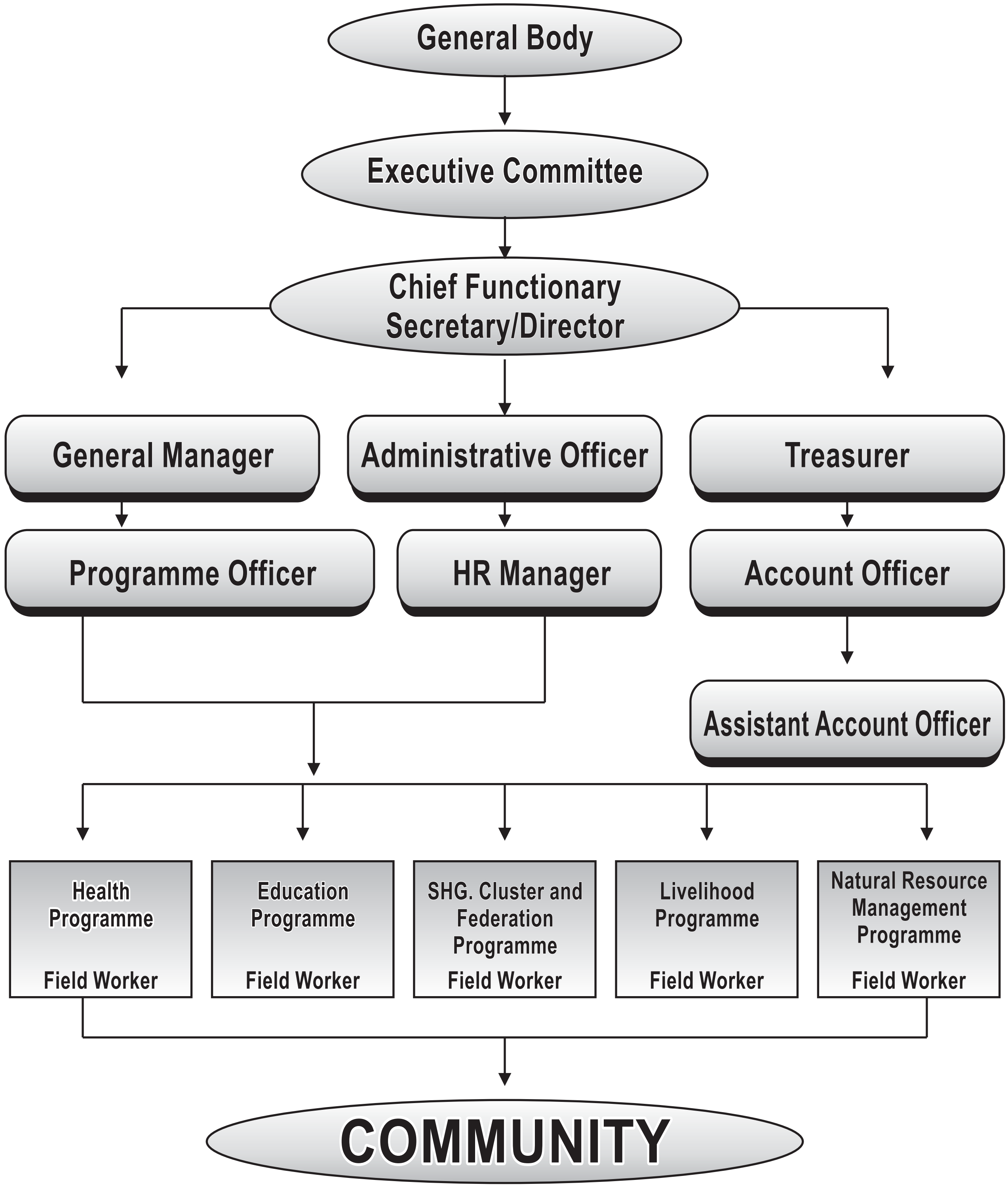

Gramin Mahila Vikas Sansthan

ABRIDGED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31/03/2021

EXPENDITURE	AMOUNT ₹	INCOME	AMOUNT ₹
To Project Expences:	1,49,32,654	By Grant -Received	18216044
To Administrative Expenses	15,48,020	By Interest	11021
To Excess of Income over Exp.	19,21,891	By Contribution & Other Income	175500
Total	1,84,02,565	Total	1,84,02,565

In terms of our Audit Report even date attached.

For S.S Verma & Co
Chartered Accountants

(S. S. Verma)
Prop.

Jaipur
September 01, 2021

For Gramin Mahila Vikas Sansthan

(Shankar Singh Rawat)
Secretary
सचिव
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
बूबानी, किशनगढ़
जिला–अजमेर (राज.)

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31/03/2021

	LIABILITIES	AMOUNT ₹		ASSETS	AMOUNT ₹
	General Fund	42,98,815		Fixed Assets	11,05,059
				Grant Receivable	30,26,867
	Current Liabilities	39,36,352		Other Current Assets	17,97,032
				Cash in Hand	61,932
				Cash at Bank	22,44,277
	Total	82,35,167		Total	82,35,167

In terms of our Audit Report even date attached.

For S.S Verma & Co
Chartered Accountants

(S. S. Verma)
Prop.

Jaipur
September 01, 2021

For Gramin Mahila Vikas Sansthan

(Shankar Singh Rawat)
Secretary
सचिव
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
बूबानी, किशनगढ़
जिला–अजमेर (राज.)

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

बाजरा प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कार्यक्रम, अजमेर

GMVS

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

ग्वारगम और इसबगोल प्रसंस्करण कार्यक्रम, नागौर

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम

GMVS

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

हंस मोबाईल मेडिकल सर्विसेज कार्यक्रम

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

रूरल आई हेल्थ प्रोजेक्ट, नागौर

GMVS

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

टारगेट इन्टरवेन्शन कार्यक्रम, चित्तौड़गढ़

GMVS

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम

GMVS

एक नजर ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

कोविड–19 के दौरान खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम

ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS, Ajmer)

ऊँचाईयों के शिखर की ओर बढ़ते कदम

सेवाओं में बढ़ते कदम ....

ग्रामीण महिला विकास संस्थान (GMVS)

मुख्य कार्यालय

प्लाट नं. 111–116,
सिद्धि विनायक कॉलोनी,
खोड़ा गणेश रोड़
मदनगंज–किशनगढ़–305801
जिला–अजमेर (राज.) भारत
मोबाईल : +91–9672979032
दूरभाष : 01463–294446
ई–मेल : bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.ngo

क्षेत्रीय कार्यालय

एन.एच. 79, प्यारे पंजाब होटल,
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा
311025 (राज.) भारत
मोबाईल : +91–9079207103
मोबाईल : +91–9829835177
ई–मेल :
gmvsajmer@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

125, भगतसिंह पार्क,
सामुदायिक भवन के पास,
चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत
मोबाईल : +91–9929259050
मोबाईल : +91–9829133882
ई–मेल :
gmvschittorgarh@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

ग्राम–बासनीजग्गा, पोस्ट–लाडपुरा
तहसील–रियांबडी
जिला–नागौर (राज.) भारत
मोबाईल : +91–9672979033
मोबाईल : +91–7426052021
ई–मेल :
ssrawatgmvs@gmail.com